लगे है, वह बिल होने के बाद।

डा॰ वाई॰ लक्ष्मी प्रसाद (आन्ध्र प्रदेश): यह बड़ा अनयाय है हमारे प्रति यह ज़ीरो ऑवर क मैटर है, ज़ीरो ऑवर में होना चाहिए।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया (बिहार): ज़ीरो ऑवर खत्म हो गया है।

...*(Interruption)*...

उपसभापति: मुझे इस बात का दुख भी है और खुशी भी है कि सब लोग जब आपका समय ले लेते हैं तो आप उनको बोलिए। यह जो सब लोग एसोसिएट करते हैं तो उनको बोलिए कि वे न बोलें। मैं तो मना करती हूं।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Madam, prior permission should be obtained for association also.

उपसभापति: हां, यही मैं कहती हूं कि परमिशन के बिना अगर बोलते है तो गलत बात है, मगर कोई सुनता नहीं है। यह तो आपकी जिम्मेदारी भी है, हाउस के मैम्बर्स की भी कि आप बिना परमिशन के न बोलें।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: The Members who are sitting on the front benches can easily associate themselves either with a Special Mention or with a Zero Hour submission, but the Members sitting on back benches are not easily identified. The Members sitting behind are at a disadvantage. That has been my experience.

THE DEPUTY CHAIRMAN. I say that Members of the House-should have consideration for their own colleagues and should not speak if their- names are not there. Everyday this is what I have been telling them, it should be implemented.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Without prior permission, no association should be allowed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Then, you speak to the hon. Chairman. If he approves it, I would implement it.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I am making this submission, through you, to the hon. Chairman.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You speak to him directly. You may also speak to your colleagues. The House doesn't belong to me alone. It belongs to you. It belongs to all of them. It belongs to these people also.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam, certain Members on the front benches have the prerogative to rise and say that they would like to associate themselves either with Special Mentions of Zero Hour submissions, but the same benefit is not being allowed to the Members sitting on the back benches.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't think Mr. Fernandes is on the front bench.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I do not want to blame anybody.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is sitting in front of you. But the thing is you make a mention. Everybody can make a mention. It is only the timing. Let's work together. After all, the House is ours. I know that today you are hurt, tomorrow somebody else would be hurt. But never mind, you would also be identified along with Members sitting on the front benches. Now, the House is adjourned for lunch for one hour.

The House adjourned for lunch at three minutes past one of the clock.

The House re-asscmblcd after lunch at seven minutes past two of the clock.

The Vice-Chairman (Shrimati Kamla Sinha) in the Chair.

STATUTORY RESOLUTION

Re. Proclamation issued by President in relation Uttar Pradesh—Contd.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): डा॰ बी॰बी॰ दत्त, स्टेट्यूटरी रिजोल्यूशन के ऊपर बहस जारी है।

Mr. B.B. Dutta, you were on your legs. Please continue.

DR. B.B. DUTTA (Nominated):

Madam, I was saying thai in the UP. electioins ...*(Interruption).*

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश): मैडम् पोइंट आफ आर्डर है। बिजनेस की लिस्ट में स्टेटमेंट बाई डिफेंस मिनिस्टर श्री मुलायम सिंह यादव है। ...**(व्यवधान)**

उपसभाअध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): वह तो हो गया। आप शायद सदन में नहीं होंगे।

श्री राजनाथ सिंह: क्षमा चाहूंगा।

DR. B.B. DUTTA: In the UP elections, all the political parties have suffered except the BSP which has retained its position of 1993. I was asking why they should not agree to the BSP leading the Government in U.P. It is the BSP-Congrcss alliance which could give a secular government That is why I am asking, what is the harm in supporting the leadership of the BSP-Congrcss alliance?

Madam, I am saying this because there arc certain imperatives in the current situation in UP. The first is, because of the stalemate that has been continuing in UP., it has been in a state of flux for a number of years and the development of U.P. has been virtually stalled. You will admit that if President's rule continues and if the bureaucrats preside over the administration in various departments, no major economic decisions, no important decisions, are going to be taken. As we have seen, in many States, President's rule had been there on occasions. During the President's rule, the people get alienated and the bureaucrats have a tendency to stall decision-making for a popular government to emerge, then to take decisions and then to clear the mess. This is how things arc happening in the most populous, the most important, the largest State, U.P. It is very unwelcome.

Secondly, another imperative is very crucial The social equations, the caste-community equations, in U.P. are also in a state of flux. There is an assertion of caste; there is an assertion of community; there are assertions of other affiliations. These assertions are very welcome. All these assertions should be harmonised and brought into a broader, sturdier, axis where unity can prevail and the State can get back stability and a new social equation, a new progressive equation, not a backward looking equation, can develop and it is because of this reason that a Government is very much necessary. If there is no Government, let multi-parties, thirteen, fourteen parties join together to form a Government. If the Government is not there, if the parties are not willing to come together on certain broad issues like socialism, secularism, democracy and fair justice to minorities, lower castes and all that, in that case, what arc you going to do? What will happen if the Government is not there? UP. is going to sink deeper and deeper into the divisivencss that is being caused by the caste-community division. Will the Central Government keep on watching as a silent spectator when the largest State in the country is sinking down and down due to divisivencss? This is what I would like to know from the Minister. That is why I put a question: Why should you not be bold enough, imaginative enough and sacrificing enough to accept anyone as a leader and form the Government? While we formed the Government at the Centre, we did not bother as to who was going to be the Prime Minister. *(Interruptions}*

SHRI G. SWAMINATHAN: Madam, I am on a point of order

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): What is your point of order?

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil Nadu): Who is sitting there on behalf of the Home Ministry? Nobody is there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): The Defence Minister is here. The Home Minister is coming. He came to tell me that he has to be present in the other House. *(Interruptions)* The Home Minister sought the Chair's permission to remain absent from this House because

he is required to be present in the other House, that is, Lok Sabha, because the same issue is being discussed there also.

SHRI S. SWAMINATHAN: Who is representing on his behalf? There should be somebody representing the Home Ministry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Please take your seat. It will be arranged. *(Interruptions)*

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Madam, may I make a point here? I just talked to the Home Minister. He actually came. ...*(Interruptions)*

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): No, no. Every time you try to intervene like this. *(Interruptions)* How can you say something on his behalf? *(Interruptions).* If the Home Minister is not able to be present in this House, then the Minister of State for Home Affairs should be present in the House and he should take notes. And if there is anything which need clarification, he should respond to that. *(Interruptions)* Yesterday also, we tried to make it a point that we should not be taken casually. In the morning, the same thing happened. In the afternoon also, the samething is happening. Madam, we need your protection. *(Interruptions).* This is the propriety of the House. *(Interruptions).* You should summon the Minister to State for Home, at least.

DR. BIPLAB DASGUPTA: I entirely agree with what he said.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): जब तक दूसरे मंत्री जी नहीं आ जाते हैं, यहां पर रक्षा मंत्री जी बैठे हैं। आप में से कोई जाकर गृह राज्य मंत्री जी को बुला लाइए।

They have gone to call the Minister of State for Home. Mr. Dutta, please continue.

DR. B.B. DUTTA: In U.P. at the lower level, at the grassroot level, elected bodies are functioning. Now, because of the absence of Government in the State, all these representative bodies at the lower level of the structure have become topless. There is bound to be a conflict of perceptions and it is going to badly affect the entire development process from the grassroot level itself. This point needs serious consideration. I want the Central Government, the Prime Minister, the Home Minister and the leaders of various parties to give a serious thought to this thing. I would like to make one more point. A question has been raised about the constitutional propriety and all that. I would like to say one thing. I am not going to blame the Governor for not having called the single largest party to form the Government because the Governor has found that it is not possible to do so. No party is in a position to form the Government. The single largest party is short of 37 votes required to form the Government and they are not in a position to give a stable government. Knowing fully well that they cannot give a stable Government, the Governor thinks that he cannot invite them to form a Government and become an instrument in augmenting their interest, in fostering their interest and invite blame on himself. I am not blaming the Governor. So far as the Constitution is concerned, there is still a nagging question. One question is being raised in this House and outside also. The question is whether one spell of President's rule can be followed by another spell of President's rule and whether article 356 presupposes that the Government was not functioning and it was not able to carry on in accordance with the provisions of the Constitution. This question has been raised time and again. A suggestion was made why the Governor did not send a message to the Assembly under article 175 (2) that it was not possible to form a Government and let the Assembly elect its leader so that he could invite him to form a Government. All these suggestions and speculations are there. The Constitutional experts are giving their opinions. 1 am not a Constitutional expert. My only sub-

mission is this. We know how the Central Government, a combination of 13 parties, with a single Opposition party, is running. At this juncture, we should not try to directly or indirectly, even remotely create Constitutional controversies which tax the energy of the nation and which also frustrate the people and create a lot of misgivings. It is the duty of the Central Government to clear this aspect of constitutionality by transparent actions because when a multi-party combination is in power at the Centre, we depend more on the Constitution. There are a lot of provisions in the Constitution which protect the interests of all groups, all parties and all aspects of our politics. Therefore, I would say that instead of rejecting it straightway, the Central Government should ponder over it. The best way to salvage ourselves from this situation is to go in for a Government, a popular Government, immediately so that this controversy dies down. We need no! fall apart in evading the Constitution, creating controversies after controversies, creating doubts after boubts. My humble request to the UF leaders, to the Prime Minister and to the Home Minister, is to take all possible measures to restore a popular Government. With these words I support the Resolution

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रस्ताव सदन के विचाराधीन है। इसका 17 अक्तूबर को एक वर्ष पूरा हुआ और राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया गया। उसके तुरन्त बाद नई विधान सभा कांस्टीट्यूट की गई और पांच मिनट बाद ही नया राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी गई। अब राष्ट्रपति शासन सामान्यतः कॉन्टीन्युएशन में है। इसमें यह कहा गया है कि नई विधान सभा बन गई इसलिए नये सिरे से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अगर संविधान को इस प्रकार से अपने हित के लिए इन्टरप्रेट करने की कोशिश होगी तो आज अगर कोई मंत्री जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, वह मंत्री बनता है तो नियम यह हैं कि 6 महीने के अन्दर उसको सदन का सदस्य बन जाना चाहिये। 6 महीने पूरे होने से एक दिन पहले वह त्यागपत्र दे दे और दूसरे ही दिन उसे फिर मंत्री बना दिया जाये तो फिर से उसे 6 महीने का समय मिल जायेगा। हम संविधान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं परन्तु यह खिलवाड़ जनप्रतिनिधियों के गले नहीं उतरेगा। मेरा यह कहना है कि पांच मिनट में वहां के गवर्नर किस आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे कि वहां कोई सरकार नहीं बनाई जा सकती? उन्होंने यह आधार लिया है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, इसलिए जब तक यह दल उनके सामने उपस्थित हो कर इस बात के लिए उन्हें कनविंस न करें कि उसको बहुमत का समर्थन है तब तक वे उसे सरकार बनाने के लिए नहीं बुलायेंगे। अब इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नर इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि प्रान्त में लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक प्रकार से चले लेकिन यह भी अनेकों बार कहा जा चुका है कि विश्वासमत सदन में मिलना चाहिये। सदन के बाहर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर बहुमत सिद्ध करना या विश्वासमत प्राप्त होगा, या नहीं होगा इसका आधार देने की आवश्यकता हो। इसलिए मेरा यह कहना है कि यह जो राष्ट्रपति शासन को एक साल के आगे बढ़ाया गया है, यह संविधान की मंशा के विपरीत है, अल्ट्रावायरस आफ दी कांस्टीट्यूशन है। इस सदन को इसे बढ़ाने की मंजूरी नहीं देनी चाहिये। गवर्नर महोदय इंतज़ार करते बैठे हैं कि कोई दल उनके पास आएगा, बहुमत मेरे साथ है, यह दावा करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया है कि हम सब से बड़े दल हैं, हम को आप बुलाइये, हम विश्वासमत सदन में प्राप्त कर लेंगे। गवर्नर कहते हैं कि नहीं तुम हमें कनविंस करो क्योंकि बाकी के दलों ने उन्हें यह लिख कर दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। उनकी 233 की संख्या बनती है, सामान्यतः बहुमत से ज्यादा है और अगर इस आधार पर सरकार बनाने का दावा करें तो गवर्नर को मना करने का कोई हक नहीं है। राज्य सभा के चुनाव में उनके 18 वोट घट गये। नेताओं की तरफ से बिलकुल यह घोषणा थी कि बी०जे०पी० को हराने के लिए हम सब लोग विरोध में वोट डालेंगे। उनकी यह योजना अपनी जगह पर कायम है लेकिन उनके 18 वोट खिसक गये। अभी भी हमारे केन्द्र में एक मंत्री हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जैसे ही हम एक नेता का फैसला कर लेंगे हम सरकार बनाने के लिए गवर्नर साहब को जा कर कहेंगे कि हमें सरकार बनाने के लिए इजाज़त दें। उनका यह भी कहना है कि बात अभी तक शुरू नहीं हुई है। इसका मतलब गवर्नर साहब यह ले रहे हैं कि एक बार अगर 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन को मंजूरी मिल गई तो 6 महीने के लिए वह टाइट बैठना चाहते हैं। उनको बहुत बड़ा अधिकार मिला हुआ है।

सिंगलमैन शो आज इतने बड़े उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उनके तो हित में है कि यह 6 महीने और चले, पार्लियामेंट में इसको मंजूरी मिल जाए। और 6 महीने तक इंतज़ार करेंगे, कोई आगे आता है या नहीं आता है, उन्हें चिन्ता नहीं रहेगी। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह टॉपलेस गवर्नमेंट सारे डिपार्टमेंट्स को टॉपलेस बना रही है, सब तरफ के काम रुके हुए हैं। उत्तर प्रदेश की समस्याएं बढ़ती जा रही है। वहां का सामान्य किसान, गन्ना उत्पादक, सामाय व्यक्ति तकलीफ में फंसा हुआ है। क्या कोई रास्ता ऐसा नहीं निकाला जा सकता जिसमें वहां सरकार बनाई जाए। यहां मैं इतना बता देना चाहता हूं कि एडजुडिकेटर बनने का अधिकर हम गवर्नर को देना चाहते है। वह तय करे, जिसको इच्छा होगी वह बुलायेगा, मैं नहीं समझता कि विधान ने गवर्नर को एडजुडिकेट करने का अधिकार दे रखा है। गवर्नर निर्वाचित लोगों की सरकार बनवा दे, इतना अधिकार उसका है। असेम्बली, काउंसिल आफ मिनिस्टर्स उसके प्रति रिस्पांसिबल है, गवर्नर रिस्पांसिबल नहीं है। केन्द्र का गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है। यह तो वहां की काउंसिल आफ मिनिस्टर्स ही सदन के प्रति जिम्मेदार है और एक बार गवर्नर ने वहां मंत्रि परिषद बना दी तो गवर्नर सीन से बाहर हो जाता है। जब तक विधान सभा काउंसिल आफ मिनिस्टर्स में अविश्वास प्रकट न करे तब तक गवर्नर का रोल प्रारंभ नहीं होता। अब काउंसिल आफ मिनिस्टर्स के बीच में और विधान सभा के बीच में गवर्नर साहब बैठे हुए है। प्रधान मंत्री कहते हैं कि गवर्नर साहब की रिपोर्ट आएगी तो हम कदम उठाएंगे और गवर्नर साहब कहते हैं कि मुझे रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई मेरे पास नहीं आया है यह कहने के लिए कि हमारा बहुमत हो गया है। वैसे सरकार बनाने का दावा केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और कोई दूसरा दावा गवर्नर के पास नहीं है। कोशिश की गयी थी कि एक ऐसा मोर्चा बनाया जाए और उप चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से अधिक वोट लाकर तीन अलग अलग पार्टियों के लोगों को जिताया जाए, भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। वह हुआ है। संभावना यह कि शायद गवर्नर साहब उसी वोट को बहुमत का आधार बना लें। लेकिन जिन लोगों ने मिलकर यह वोट बनाया था, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, गवर्नर को यह सूचना दे दी गयी कि यह राज्य सभा के वोट तक का अरैंजमेंट था। सरकार बनाने में हम इनके साथ नहीं हैं और गाड़ी वहीं पहले स्क्वायर में वापस लौटकर आ गयी जहां से एक-डेढ़ महीने पहले प्रारंभ हुई थी।

अब इस परिस्थिति में सदन इस एक्सटेंशन के सवाल पर राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देने के सवाल पर गंभीरता के साथ विचार करे। उनका कहना है कि हार्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। अब मैं नहीं जानता कि संवैधानिक प्रक्रियाओं में क्या और तरीके नहीं हैं पार्टी की मदद करने के। हमने डिफेक्शन ला बना रखा है और कांग्रेस के बंधु जानते होंगे आज किस मुश्किल का सामना वे कर रहे हैं। अगर वन थर्ड तक मेम्बर्स पार्टी से अलग होकर अपना अलग फैसला लेते हैं, गवर्नर साहब उसको रोक नहीं सकते, पार्टी के नेता उसको रोक नहीं सकते और सदन में पार्टी का समर्थन करना या विरोध करना, इसका अधिकार उस अलग हुए दल को स्वयमेव मिल जाता है। अनेकों तरीके है विश्ववास व्यक्त करने के, अविश्वास को प्रकट करने के और इन सब चीजों को गवर्नर साहब के दरबार में पेश नहीं किया जा सकता, न गवर्नर साहब कंपीटेंट अथारिटी हैं विश्वास और अविश्वास के सवाल पर फैसला करने के लिए, और जब कोई दूसरे दावेदार नहीं हैं तो हम 6 महीने का समय बढ़ाकर गवर्नर साहब को 6 महीने की मोहलत देना चाहते हैं अपना एकाधिपत्य उत्तर प्रदेश के लोगों पर थोपे रखने के लिए। इस कन्टेक्स्ट में उसका विचार करना चाहिए।

मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने यह बहुत सी पार्टियों को मंजूर नहीं है। हम आज यहां प्रमुख विरोधी दल बनें, हम राजस्थान में सरकार बनाएं या दिल्ली में सरकार बनाएं इसके लिए भी बहुत पेट में मरोड़ उठते हैं। स्वाभाविक है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण अगर दूसरी पार्टी सरकार बनाए और हम सरकार से बाहर रह जाएं तो यह पसंद नहीं है। लेकिन आखिर तो यह किसी पार्टी के हक में है क्या, या किन्हीं पार्टियों के गठबंधन के आधार पर है क्या? अंततोगत्वा तो हिंदुस्तान का आम वोटर इस बात का फैसला करता है कि उसको कौन से दल की सरकार चाहिए।

कहा जाता है कि बी० जे० पी० के प्रति लोगों ने अविश्वास प्रकट कर दिया। मैं कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहता हूं 40 साल तक 40 परसेंट से कम वोट लेकर और 36 परसेंट, 38 परसेंट, 40 परसेंट वोट लेकर आप जनता के प्रतिनिधित्व का दावा करते रहे हैं। उस समय तो किसी ने नहीं कहा कि आपका वोट क्योंकि 50 परसेंट से कम है, आपको रिजैक्ट कर दिया गया। यह रिजैक्शन की भाषा, यह संवैधानिक भाषा नहीं है, यह मतदाता के प्रति सम्मान प्रकट करने की भाषा भी नहीं है, उसने जो फैसला किया है क्या हम उस फैसले

को नकारना चाहते हैं? क्या हम लोगों के फैसले की परवाह न कर एक डिज़ोल्यूशन से दूसरे डिज़ोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं और इसकी कौन गारंटी ले सकता है कि उत्तर प्रदेश के मतदाता का वोटिंग परसेंटेज और निर्णय जैसा कि 1993 और 1996 में रिपीट हुआ है फिर से रिपीट न हो जाए, तो क्या फिर से आप डिज़ोल्यूशन की तरफ जायेंगे? मैं ऐसा समझता हूं कि विधान के अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधियों को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। असेंबली के हाथ में है जो कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्ज़ बनेगा उसके प्रति वह विश्वास प्रकट कर सकते हैं, अविश्वास प्रकट कर सकते हैं। अविश्वास प्रकट करने के बाद एक क्षण के लिए उस मंत्री परिषद् को सत्ता में बनाये रखने का अधिकार नहीं है और गवर्नर साहब सैकंड लार्जेस्ट पार्टी को एप्रोच कर सकते हैं। आप सरकर बनाइये। अब यह तो डॉग इन द मेंजर वाली बात हो रही है। खायेंगे भी नहीं, खाने भी नहीं देंगे। हम बना नहीं पा रहे हैं। हमारा जब कभी फैसला होगा लीडर बनने का तब तक ठहरे रहो। आप भी सरकार मत बनाओ, हम भी नहीं बनाते हैं। गवर्नर कंस्टीट्यूशनल अथारिटी का इस्तेमाल करता चला जायेगा। या फिर मिलेंगे, तब सरकार बनेगी और लीडर का चुनाव होगा। हिन्दी में कहावत है जब 9 मन तेल होता है तब राधा जी नाचती है। अब 9 मन तेल नहीं हुआ, राधा बैठी है, नाच नहीं पायेंगी और क्योंकि तेल इकट्ठा नहीं हो रहा है, 9 मन तेल नहीं हो रहा है तो राधा जी बैठी है। नाच देखने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं।

हम इस संविधान को, भा०ज०पा० विरोध की भावना को किस सीमा तक ले जाना चाहते हैं, यह तय कर लीजिए। यह नार्म्स केवल उत्तर प्रदेश की सरकार या केवल केन्द्र की सरकार तक सीमित नहीं रहेगा, फार टाइम्स टू कम इन सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रख कर एटीट्यूड बनाये जायेंगे। आपको भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं है, आप मत करिए यह हिन्दुस्तान का वोटर तय करेगा कि उसको कौन सी पार्टी हिन्दुस्तान में चाहिए और आपकी अनिच्छा होते हुए भी भातीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। आप उसको रोक नहीं सकते। ये जो लिमिटेशंस हैं, कंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस, यह जो इलैक्टोरेट का मत प्रकट करने का दावा है आप उसको तो प्रभावित नहीं कर पायेंगे। लोगों के पास जाइये कि वे बी०जे०पी० को हरा दें। बी०जे०पी० को इतनी सीटें भी न दें, बी०जे०पी० को कहीं बहुमत न मिल जाए। उस लड़ाई को हम आप तय कर सकते हैं। कॉमन फील्ड हमारा हिन्दुस्तान की जनता है, प्रदेश की जनता है। उसको जाकर अपील करें कि तुमने यह बी०जे०पी० को इतनी बड़ी संख्या में वोट किस लिए दे दिए। लेकिन आज थोड़ा-थोड़ा परसेंटेज वोट पाने वाले लोग बी०जे०पी० पर लांछन लगा रहे है कि तुम हार गए। तुमको रिजैक्ट कर दिया गया। चार परसेंट, सात परसेंट जिनको वोट मिला है वे 33 परसेंट, 36 परसेंट वालों को कहते हैं,

You have been rejected by the people.

अब यह एनालोजी बड़ी विचित्र है। इस एनालोजी से हम कहां पहुंचेंगे इसका अंदाजा लगाना चाहिए। 356 को आर्टिकल 164 (2) के अंतर्गत पढ़ना चाहिए और इसलिए उसमें लिखा हुआ है:

"The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State."

वहां कैबिनेट नहीं है। आप कौन सी सरकार को भंग कर रहे हैं? राष्ट्रपति शासन लाने के लिए राष्ट्रपति शासन को सुपरसीड कर के दूसरा राष्ट्रपति शासन ला रहे हैं। अगर एक साल के अंदर होता तो आप को एक्सटेंशन का अधिकार है। कांस्टीट्यूशनल रोक लगा रखी है कि एक साल के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। पहले भी जब केरल में 1965 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था या राजस्थान में 1967 में लगाया गया था या उड़ीसा में 1971 में लगाया गया था तो वह कांस्टीट्यूशनल प्रोवीजन के अंतर्गत था। उसे एक्सटेंड किया जा सकता था। बाद में कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट कर के हम ने एक साल पर रोक लगा रखी है कि एक साल से जयादा नहीं होगा। आप यहां भी कांस्टीट्यूशन का अमेंडमेंट करिए। हम ने पंजाब के लिए किया था और कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट करने के बाद वहां एक साल से ज्यादा मियाद बढ़ायी थी। यहां तो कोई कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आया। आप सीधे आर्टिकल-356 रूल का रैटीफिकेशन कराने के लिए आ गए। Under what authority? Does the Constitution allow us? महोदया, यह सीधा सवाल है जिस का समाधान हुए बिना आप आर्टिकल-356 का अनुमोदन यहां सदन में कराकर असंवैधानिक कार्यवाही को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर विचार होना चाहिए। महोदया, पहले भी 1988 में दिनेश चौधरी वर्सस चौ० चरण सिंह का केस दिल्ली हाइकोर्ट ने तय किया है और उस में साफ तौर पर कहा था कि: Since it is as such Member of the Lok Sabha—and I want to interpret it as

'Member of the Assembly'—"should be invited to form the Government" has to be taken by the President or the Governor. It is only the Constitutional convention which has to be respected by him in the choice of such a person. अब बी॰जे॰पी॰ के लोग केसरिया कपड़ा लगाते हैं और कोई हरा कपड़ा लगाता है या कोई काली टोपी पहनता है, इस रंग से तो कांस्टीट्यूशन को परिचय नहीं है। Everybody is equally authorised, man or woman, to shoulder the responsibility under the Constitution.

SHRIMATI MARGARET ALVA (Karnataka): That is why you pulled down Mayawatiji.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: It was for other reasons. We had also put her up and pulled her down because of her own actions. We are prepared to help her. We gave unstinted outside support to replace Mulayamji.

DR. BIPLAB DASGUPTA: You do not mind her abuse.

(Interruptions)

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: अभी बहुत सी चीजें आएंगी। मैडम, आज की परिस्थिति में गवर्नर साहब की सिफारिश पर जो आर्टिकल-356 का रूल उत्तर प्रदेश में लगाया गया है, वह आर्बिट्रेरी है, बाएस्ड है और पोलिटिकली मोटिवेटेड है। इसलिए यह प्रोक्लेमेशन अल्ट्रा वायरस ऑफ द कांस्टीट्यूशन है। गवर्नर साहब इस की रिकमंडेशन करते समय जो कांस्टीट्यूशनल भाषा है और परिधि है, उसी के अंदर काम करें। अपनी पर्सनल फेंसीज और लाइक्स एंड डिस्लाइक्स को अपनी रिपोर्ट का आधार न बनाएं। मुझे अफसोस है कि गवर्नर साहब ने अपनी कांस्टीट्यूशनल ड्यूटी का ठीक प्रकार से पालन नहीं किया है। इस फेलुअर के आधार पर गवर्नर साहब को वहां से हटा देना चाहिए। इस सदन को धारा-356 के शासन का अनुमोदन नहीं करना चाहिए हमें राजनीतिक परवरसिटी को स्थान नहीं देना चाहिए क्योंकि फिर तो कोई सीमा नहीं रहेगी और कांस्टीट्यूशन धरा रह जाएगा। इंटरप्रिटेशन और अपनी इच्छा से किए निर्णय के आधार पर उस को तोड़ना गलत है क्योंकि उस पर कोई लगाम रहना जरूरी है। और मैं इस सदन के सदस्यों से अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश के इस प्रोक्लेमेशन को वोट-आऊट करके इस धारा को निरस्त करें। जैसा कि वहां, एक जज ने यहां तक कहा कि लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को तीन दिन के अंदर सरकार बनाने के लिए बुलाओ। आज वह डिस्प्युटेड है और फुल बैंच उस पर विचार कर रही है। मैं चाहता हूं कि वह भी अपनी राय दे दे, लेकिन एक राय इसके पक्ष में आ चुकी है। यह सदन भी इस प्रकार की राय बना सकता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन को हम मान्यता नहीं देंगे, तो इसी का सहज परिणाम होगा कि गवर्नर को एक्ट करना पड़ेगा और आज के दिन एक्ट करना पड़ेगा, जो स्वाभाविक परिस्थिति है उसी के अनुसार एक निर्वाचित सरकार बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद एक जटिल परिस्थिति पैदा हो गई है, इसलिए कि किसी भी एक दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल के सामने दो ही ऑप्शन बचते थे—एक यह कि नई निर्वाचित विधानसभा को भंग करने का सुझाव वह राष्ट्रपति जी को देते, दूसरा यह कि पुनः वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने का सुझाव देते ताकि कुछ दिनों के अंदर मतदाताओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए एक नई सरकार बनाने के लिए समय मिलता वहां के विधायकों को, जो विभिन्न दल के गठबंधन है या विभिन्न दल है उनको यह अवसर मिल जाता। हम समझते है कि राज्यपाल ने जो यह सुझाव राष्ट्रपति जी को दिया है और वहां राष्ट्रपति शासन पुनः लागू किया गया एक खास हालात में, एक खास परिस्थिति में, वह ठीक है।

महोदया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई कहते हैं कि वह सबसे बड़े दल है। बिल्कुल है, लेकिन जितनी संख्या आपके पास है, उसमें क्या आप वहां सरकार बना सकते है? नहीं बना सकते। दूसरे जो दलों के गठबंधन हैं या दल हैं, वह भी आपको समर्थन करने को तैयार नहीं है। कैसे राज्यपाल आपको बड़े दल की हैसियत से बुला लेते? एक तरफ तो आप संविधान की वैधानिकता की चर्चा कर रहे हैं, चर्चा होनी चाहिए। संविधान का पालन जरूर होना ही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अगर आपको बुला लें तब आप बहुमत कहां से जुटाएंगे?

उपसभाध्यक्ष महोदया, संसदीय जनतंत्र में एक ही बार देखा गया है कि दल बदल के जरिए, जिसे हार्से ट्रेडिंग कहते हैं, उसके माध्यम से बहुमत बनाया गया और जिसकी आलोचना इस सदन में भी और इस सदन के बाहर भी बार बार की जा चुकी है। दल बदल

विरोधी कानून भी बने हुए है ताकि इस दल बदल को रोका जा सके, ताकि संसदीय जीवन में एक स्वस्थ और सही परंपरा का सिलसिला शुरू हो।

महोदया, आप यह कहते हैं कि आपको बुलाया नहीं गया। आपको बुला लिया जाता तो क्या आप सरकार बना लेते? केन्द्र में आपको बुलाया गया, राष्ट्रपति जी ने आपको बुलाया, समय भी दिया, लेकिन 13 दिन में आप अपना बहुमत साबित नहीं कर सके। सदन में आपको यह हिम्मत नहीं हुई कि आप सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर सकते, पहले ही इस्तीफा देकर के चले गए।

तो कैसे, आपका कौन सा आधार है जो आप कहते हैं कि आपको बुला लिया जाए और आप उत्तर प्रदेश की विधान सभा में एक करिश्मा दिखला देंगे? एक ही करिश्मा आप कर सकते हैं और वह है दल-बदल को बढ़ावा देना और दल-बदल को बढ़ावा देकर, हार्स ट्रेडिंग के माध्यम से और दूसरे गैर कानूनी तरीकों के माध्यम से, जिनकी संसदीय जीवन में जगह नहीं होनी चाहिए; उनका इस्तेमाल करके आप बहुमत साबित करने की कोशिश करना चाहते हैं और इसके लिए अवसर चाहते हैं, जो राज्यपाल ने आपको नहीं दिया है। हम समझते है कि राज्यपाल की यह सोच और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना व्यावहारिक, सैद्धान्तिक और संवैधानिक दृष्टि से भी सही है और इसीलिए इस सदन को पुनः जो राष्ट्रपति शासन विशेष स्थिति में लागू किया गया है, इसका समर्थन करना चाहिए और इसी के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

कल हमारे माननीय साथी श्री जितेन्द्र प्रसाद जी भाषण कर रहे थे, उन्हे भी दलित महिला का प्रेम बहुत चढ़ गया है। होना चाहिए, प्रेम तो होना ही चाहिए, लेकिन हम लोगों ने दलितों से कितना प्रेम किया है यह आजादी के 50 साल के बाद भी देखा जा सकता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाइयों ने मुलायम सिंह की सरकार को गिराने के लिए दलित महिला से प्रेम किया था और उन्होंने एक दलित महिला को उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री बनाया। अभी माननीय भंडारी जी ने कहा कि हमने बनाया था, इसलिए कि मुलायम सिंह की सरकार को गिरा दिया जाए, अभी बोल चुके हैं सदन के सामने। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक दलित महिला को मुख्य मंत्री बनाया गया, बड़ी शाबाशी हुई, आप रक्षा-बंधन का बंधन भी बांध आए लेकिन भैया दूज समाप्त होने के पहले ही दलित महिला को, उस बंधन को तोड़कर, गद्दी से नीचे गिरा दिया, यह पूरा देश जानता है। यही हम कहना चाहते हैं कि नया दलित प्रेम हमारे जितेन्द्र जी को कहां से हो गया है? क्या वे भी कुछ इसी तरह की चीज़ करना चाहते हैं? इसलिए मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना उचित नहीं होगा। ..(व्यवधान)..

श्री अखिलेश दास (उत्तर प्रदेश): सोशियल जस्टिस की बात आप भी बहुत करते हैं, हमारे प्रेम पर आपको क्यों ऐतराज़ है? हमारा 50 साल पुराना प्रेम है।

श्री जलालुद्दीन अंसारी: हां, हां, मैं कर रहा हूं सोशियल जस्टिस की बात लेकिन सिर्फ एक राजनीति करने के लिए सोशियल जस्टिस की बात मैं नहीं करता और न हमारी पार्टी करती है। सोशियल जस्टिस की लड़ाई है, लड़ाई चलेगी, उसको हम और आप बंद करके बहुत दिनों तक नहीं रख सकते। लड़ाई है, लड़ाई रहेगी, उसे हम कुछ दिन तक रोक सकते हैं, बंद नहीं कर सकते, यह बहुत स्पष्ट बात मैं कहना चाहता हूं सदन में। तो हम यह चाहते हैं कि बहुत दिनों तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रहना चाहिए और इसके लिए एक ही रास्ता है कि यूनाइटिड फ्रंट की पार्टियों के जो लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, बी०एस०पी० के लोग है, वे किसी जिद पर मत अड़ें। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए, उत्तर प्रदेश की स्थिति को ध्यान में रखते हुऐ, उत्तर प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी सरकार आप बनाएं जिसमें किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं रहे, बल्कि एक आम सहमति के आधार पर सहमति हासिल करके आप सरकार बनाएं और वहां की जनता की समस्याओं के समाधान की दिशा में वह सरकार कारगर कदम उठाए, इस दिशा में आप बढ़ें।

इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और इन दलों से मेरा निवेदन होगा कि जिद छोड़ दीजिए, एक सहमति के आधार पर आइए। यही उत्तर प्रदेश की जनता और मतदाताओं के हित में होगा और यही संसदीय जनतंत्र के लिए भी आवश्यक होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका अनुमोदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। शुक्रिया।

[ ] Transliteration in Arabic Script.

[ ] شری جلال الدین انصاری "بہار"
اپادھیکش ہوئے - اتر پردیش میں

کی چرچہ کر رہے ہیں - چرچہ ہونی چاہیئے
سنودھان کا پالن ضرور ہونا چاہیئے -
اسمیں کہیں دو رائے نہیں ہیں - اگر
آپکو بلائیں تب آپ بہومت کہاں سے
جٹائیں گے - ابا دھیکش مہودے - سنسد کے
جنتنتر میں ایک ہی بار دیکھا گیا ہے کہ
دل بدل کے ذریعہ جسے ہارس ٹریڈنگ
کہتے ہیں - اسکے مادھیم سے بہومت بنایا
گیا اور جسکی آلوچنا اس سدن میں بھی اور
اس سدن کے باہر بھی بار بار کی جا چکی
ہے - دل بدل ورودھی قانون بھی بنے ہوئے
ہیں - تاکہ اس دل بدل کو روکا جا سکے - تاکہ
سنسد کے جیون میں ایک سوستھ اور
سہی پرمپرا کا سلسلہ شروع ہو -

مہودے - آپ یہ کہتے ہیں کہ آپکو بلایا
نہیں گیا - آپکو بلا لیا جاتا تو کیا آپ سرکار
بنا لیتے - لیکن میں آپکو بلایا گیا - راشٹرپتی
جی نے آپکو بلایا - سمے بھی دیا لیکن ۱۳ دن میں
آپ اپنا بہومت ثابت نہیں کر سکے - سدن
میں آپکو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ آپ سدن
میں بہومت سدھ کر سکتے - پہلے ہی استعفا
دے کر چلے گئے - تو کیسے آپکا کونسا آدھار
ہے جو آپ کہتے ہیں کہ آپکو بلایا جائے - اور
آپ اتر پردیش کی ودھان سبھا میں ایک
کرشمہ دکھا دیں گے - ایک کرشمہ آپ کر سکتے

چناؤ کے بعد ایک جٹل پرستھتی پیدا ہوئی
ہے - اسلئے کہ کسی بھی ایک دل کو سرکار
بنانے کیلئے بہومت حاصل نہیں ہو سکا
ہے - ایسی استھتی میں راجیہ پال کے دو
ہی آپشن بچتے ہیں ایک یہ کہ نئی نرواچت
ودھان سبھا کو بھنگ کرنے کا سجھاؤ وہ
راشٹرپتی جی کو دیتے - دوسرا یہ کہ پن
وہاں راشٹرپتی شاسن لاگو کرنے کا سجھاؤ
دیتے تاکہ کچھ دنوں کے اندر مت داتاؤں
کی بھاوناؤں کا خیال رکھتے ہوئے ایک
نئی سرکار بنانے کا سمے ملتا - وہاں کے ودھایک
جو بھی دل کے گٹھ بندھن میں ہیں یا بھن
دل میں انکو یہ اوسر مل جاتا - ہم سمجھتے
ہیں راجیہ پال نے جو یہ سجھاؤ راشٹرپتی
جی کو دیا ہے اور وہاں راشٹرپتی شاسن
پن لاگو کیا گیا ہے ایک خاص حالت میں
ایک خاص پرستھتی میں - وہ ٹھیک ہے -

مہودے - ہمارے بھارتیہ جنتا
پارٹی کے بھائی کہتے ہیں کہ وہ سب سے
بڑے دل ہیں - بالکل ہیں - لیکن جتنی سنکھیا
آپکے پاس ہے اسمیں کیا آپ وہاں سرکار
بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے - دوسرے
جو دلوں کے گٹھ بندھن ہیں یا دل ہیں وہ
بھی آپکو سمرتھن کرنے کو تیار نہیں ہیں -
کیسے راجیہ پال آپکو بڑے دل کی حیثیت
سے بلا لیتے - ایک طرف تو آپ سنودھان

دیا جائے۔ ابھی بول چکے ہیں سدن کے سامنے
تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دلت مہیلا کو
ملکیہ منتری بنایا گیا۔ بڑی شاباشی ہو گی۔
آپ رکشا بندھن کا بندھن بھی باندھ لیں
لیکن بھیا دوج سماپت ہونے کے پہلے ہی
دلت مہیلا کو۔ اس بندھن کو توڑ کر۔
گدی سے نیچے گرا دیا۔ یہ پورا دیش جانتا
ہے یہی ہم کہنا چاہتے ہیں۔ کہ نیا دلت پریم
ہمارے جتیندر جی کو کہاں سے ہو گیا ہے
کیا وہ بھی کچھ اسی طرح کی چیز کرنا چاہتے
ہیں۔ اسلئے میرا سجھاؤ ہے کہ اتر پردیش
میں بہت دنوں تک راشٹرپتی شاسن لاگو
کیا جانا اچت نہیں ہو گا۔۔۔ "مداخلت"۔

شری اکھلیش داس: سوشل جسٹس
کی بات آپ بھی بہت کرتے ہیں۔ ہمارے پریم
پر آپکو کیوں اعتراض ہے۔ ہمارا ۵۰ سال
پرانا پریم ہے۔

شری جلال الدین انصاری: ہاں۔ ہاں
میں کر رہا ہوں سوشل جسٹس کی بات لیکن
صرف ایک راجنیتک کرنے کیلئے سوشل جسٹس
کی بات میں نہیں کرتا اور نہ ہماری پارٹی کرتی
ہے۔ سوشل جسٹس کی لڑائی ہے۔ لڑائی
چلیگی۔ اسکو آپ اور ہم بند کر کے بہت دنوں
تک نہیں رکھ سکتے۔ لڑائی ہے لڑائی رہیگی۔
اسے ہم کچھ دنوں تک روک سکتے ہیں۔ بند
ہیں۔ اور وہ ہے دل بدل کو بڑھاوا دینا۔ اور
دل بدل کو بڑھاوا دیکر۔ ہاؤس ٹریڈ لگنے کے
مادھیم سے اور دوسرے غیر قانونی طریقوں
کے مادھیم سے جنتا کی سنسدیہ جیون میں جگہ
نہیں ہونی چاہیئے۔ انکا استعمال کر کے آپ
بہومت ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہتے
ہیں۔ اور اسکے لئے اونر چاہتے ہیں جو راجیہ پال
نے آپکو نہیں دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ راجیہ پال
کی یہ سوچ اور وہاں راشٹرپتی شاسن لاگو
کیا جانا ویودھارک ہے۔ سیونتک اور سنویدھانک
درشٹی سے بھی صحیح ہے اور اس سدن کو
پن جو راشٹرپتی شاسن وشیش استھتی میں
لاگو کیا گیا ہے۔ اسکا سمرتھن کرنا چاہیئے۔ اور
اسی کے لئے میں کھڑا ہوا ہوں۔

کل ہمارے مانیہ ساتھی شری
جتیندر پرساد جی بھاشن کر رہے تھے۔
انہیں بھی دلت مہیلا کا پریم بہت چڑھ گیا ہے
ہونا چاہیئے۔ پریم تو ہونا ہی چاہیئے۔ لیکن ہم
لوگوں نے دلتوں سے کتنا پریم کیا ہے۔ یہ
آزادی کے پچاس سال بعد بھی دیکھا جا
سکتا ہے۔ ہمارے بھارتیہ جنتا پارٹی کے بھائیوں
نے ملائم سنگھ کی سرکار کو گرانے کیلئے دلت
مہیلا سے پریم کیا تھا۔ اور انھوں نے ایک دلت
مہیلا کو اتر پردیش کا ملکیہ منتری بنایا۔
ابھی مانیہ بھنڈاری جی نے کہا کہ ہم نے بنایا
تھا۔ اسلئے کہ ملائم سنگھ کی سرکار کو گرا

نہیں کر سکتے - یہ بہت اسپیشل بات میں
کہنا چاہتا ہوں سدن میں - تو ہم یہ چاہتے
ہیں - کہ بہت دنوں تک اتر پردیش میں
راشٹرپتی شاسن لاگو نہیں رہنا چاہیئے -
اور اسکے لئے ایک ہی راستہ ہے - یونائیٹڈ
فرنٹ کے پارٹیوں کے لوگ ہیں - کانگریس
کے جو لوگ ہیں - بی - ایس - پی کے جو لوگ
ہیں وہ کسی ضد پر مت اڑیں - اتر پردیش
کی بھاونا ؤں کا خیال رکھتے ہوئے - اتر پردیش
کی استھتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے -
اتر پردیش کے وکاس کو دھیان میں رکھتے
ہوئے ایک ایسی سرکار آپ بنائیں جس
میں ایک ویکتی کا مدعا نہیں رہے - بلکہ ایک
عام سہمتی کے آدھار پر سہمتی حاصل کر کے
آپ سرکار بنائیں اور وہاں کی جنتا کی
سمسیاؤں کے سمادھان کیلئے دشا میں
وہ سرکار کارگر قدم اٹھائے - اس دشا میں
آپ بڑھیں -

انھیں شبدوں کے ساتھ راشٹرپتی
شاسن کی ادگھوشنا ہے - میں اسکا سمرتھن
کرتا ہوں اور ان دلوں سے میرا نویدن ہے -
کہ ضد چھوڑ دیجئے - ایک سہمتی کے آدھار
پر آیئے - یہی اتر پردیش کی جنتا اور مت
داتاؤں کے ہت میں ہوگا - اور یہی
سنسد کے جنتنتر کے لئے بھی اچھا ہوگا
انہی شبدوں کے ساتھ میں اسکا
انومودن کرتے ہوئے اپنی بات سماپت
کرتا ہوں - شکریہ - "ختم شد"]

सैयद सिब्ते रज़ी (उत्तर प्रदेश): माननीय महोदया, आज जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं उसमें सरकारिया आयोग की बात कई मर्तबा रखी गई। कई मर्तबे यह प्रयास किया गया है कि शायद राज्यपाल ने अपने विवेक का सही प्रयोग नहीं किया है। सरकारिया कमीशन रिपोर्ट वोल्यूम-1, पेज-128 के ऊपर स्पष्ट रूप से यह कहा गया है

> "The Governor, while going through the process of selection described above, should select a leader who, in his judgment, is most likely to command a majority in the Assembly. The Governor's subjective judgment will play an important role".

इस पूरे प्रकरण में राज्यपाल की जिम्मेदारी यह बनती है कि वह ऐसे व्यक्तियों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें जिसके पास अपना बहुमत सिद्ध करने के साथ-साथ इस बात का भी आश्वासन देना जरूरी हो जाता है कि वह इतने नम्बर्स और इतनी संख्या विधायकों की अपने पास रखता है कि वह जब सदन बुलाया जाएगा तो एफ़ेक्टली सदन में मुख्य मंत्री बनाए जाने से पहले इस बात का आश्वासन दे दे कि उसके पास इतनी संख्या है। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से इस बात का दावा किया है कि वह सरकार बनाना चाहती है। लेकिन उन्होंने गवर्नर को किसी स्टेज पर, किसी स्तर पर केवल अपनी पार्टियों के सदस्यों की लिस्ट के अलावा कोई ऐसी लिस्ट नहीं दी है जिसमें कम से कम नाममात्र के लिए यह कहा गया हो कि दूसरी पार्टी के इतने लोग, इतने विधायक या निर्दलीय हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मदद करने के लिए तैयार है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता सिवाए इसके कि वह पुनः राष्ट्रपति शासन घोषित किए जाने के सिलसिले में, लागू किए जाने के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिकमेंडेशन दे। अभी हमारे बड़े लायक दोस्त भंडारी साहब तकरीर कर रहे थे और इनकी पार्टी के जो दूसरे वक्ता थे उन्होंने भी संविधान की और आर्टिकिल-356 की दुहाई दी कि उसका गलत इस्तेमाल किया और संविधान के खिलाफ खिलवाड़ किया गया। मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि यही तो हमारा कहना है कि संविधान की रेस्पेक्टेबिलिटी, संविधान का आदर और संविधान के

तहत जो भी हमारी जुडिशिएरी है, हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, विधान सभाएं है, हमारी कार्यपालिकाएं हैं इनका अपना-अपना स्थान बने रहना चाहिए। छः दिसम्बर, 92 को भारत के अंदर जो हादसा हुआ और मुझे बहुत अफसोस है यह कहते हुए कि उन लोगों के सामने हुआ जो देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता थे और उस वक्त संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, मैं नहीं समझता आज सदन में अपनी सरकार को आमंत्रित न किए जाने के संबंध में बार-बार संविधान की दुहाई दिया जाना। दल स्वयं रूप से सक्षम है नहीं सरकार बनाने के लिए और बार-बार गवर्नर का नाम मैं समझता हूं, लाया जाना कोई मुनासिब बात नहीं है। जो दूसरे दल है खास तौर पर बसपा ने भी इस बात को लिख कर दे दिया है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में यही एक विकल्प रह जाता था कि वहां राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाए। जैसा कि अभी जस्टिस रज़ा ने अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट बैंच के फैसले में कहा है—लोकतंत्र स्वयं नहीं मरता बल्कि कभी-कभी कारणवश लोकतंत्र को आत्महत्या करनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि हम सब को मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी परिस्थिति आकर उभरी है जिसमें लोकतंत्र को पूरी तरह से मौका नहीं मिल पा रहा है चुने हुए नुमाइंदों को सरकार बनाने का।

ऐसी सूरत में जब कि हम यह बार-बार कहते हैं कि लोगों ने साम्प्रदायिक और सेक्टेरियन पालिटिक्स करने वाले लोगों को रिजेक्ट किया है तो निश्चित रूप से यह जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है उस पर विश्वास रखने वाली पार्टियों की यह जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि वह देखें कि एक लोकप्रिय सरकार बने। अभी भी समय गया नहीं है, परिस्थितियां अभी भी बदली जा सकती हैं। हमारी जो संयुक्त मोर्चा की सरकार है इसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वह इस मामले में अगुवाई करे और यह जो जिद का टच-मी-नॉट सिन्ड्रोम चल रहा है, व्यक्तिवाद के ऊपर हम ज्यादा जा रहे हैं तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है उस पर हमारी ज्यादा तवज्जो नहीं है। मिलकर बैठा जा सकता है, एक लोकप्रिय सरकार दी जा सकती है वहां पर। लोकप्रिय सरकार न होने की वजह से प्रदेश की जनता का नुकसान होता है। सन् 1989 से आज तक स्थाई सरकारें उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकी हैं, उसकी वजह से हमारा विकास, हमारी तरक्की नहीं हो पा रही है और ला एण्ड आर्डर की बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार के अन्दर माननीय राष्ट्रपति जी ने एक ऐसी सरकार को आमंत्रित किया जिसकी मैजोरिटी नहीं थी लेकिन वह सरकार जिसको मौका दिया गया था वह विफल रही अपना बहुमत सिद्ध करने में। जो 13 दिन की सरकार थी तो निश्चित रूप से उन 13 दिनों के अन्दर वह स्थायित्व नहीं हो सका जिसकी हम संकल्पना करते थे और आज भी करते हैं।

मैं समझता हूं कि राज्यपाल के सामने यह उदाहरण भी निश्चित रूप से है। केन्द्र सरकार में जब एक अल्पमत की सरकार को मौका दिया तो वह ज्यादा दिन नहीं चल सकी। पहले भी ऐसा ही हुआ है, जब-जब भी अल्पमत की सरकारों को, चाहे वह नीलम संजीवा रेड्डी साहब के जमाने में रहा हो, चाहे वह वैंकटरमण साहब के जमाने में रहा हो: जब चन्द्रशेखर जी को उन्होंने बुलाया था तो ऐसी सूरत में भी स्थाई सरकारें नहीं हो सकीं और अल्टीमेटली फिर चुनाव के लिए जाना पड़ा। जब राज्यपाल के सामने ऐसी परिस्थिति है तो निश्चित रूप से राज्यपाल के सामने कोई विकल्प नहीं है कि वह इस मामले में और कुछ करें। हिन्दुस्तान के वोटरों को यह अधिकार है कि वे अपना फैसला करें। भारतीय जनता पार्टी बहुत जोरदार तरीके से कहती है कि उसका जो बेस है वह खत्म नहीं हुआ है। मैं भण्डारी जी की इस बात पर उनसे एग्री नहीं करूंगा। आपको निश्चित रूप से सिंहावलोकन करने की जरूरत है, आप गलतफहमी का शिकार न रहिए। जो परिस्थिति आपकी लोक सभा चुनाव में थी वह परिस्थिति अब उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गई है। मैं समझता हूं कि वहां के लोग निद्रा से जाग रहे हैं और जो साम्प्रदायिक जज्बात का खेल आपने खेला था उस खेल का जादू अब टूट रहा है। लोक सभा में आपने देखा कि आपकी लगभग 236 स्थानों के ऊपर बढ़त थी लेकिन अभी जो विधान सभा चुनाव हुये हैं इसमें आपकी बढ़त काफी घट गई है और करीब 174-176 की संख्या में पहुंच गयी है।...(**व्यवधान**)...

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: अपनी कोशिश कर के देख लीजिए।

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश): रज़ी साहब आपके दल को कितने प्रतिशत वोट मिले, जरा उस पर भी प्रकाश डालिए। ...(**व्यवधान**)...

सैयद सिब्ते रज़ी: मैडम, मैं अपने पाइन्ट में यह बात रख रहा था कि जनता ने ...(**व्यवधान**)...

†[شری سبط رضی : میڈم - میں اپنے پوائنٹ میں یہ بات رکھ رہا ہوں کہ جنتا نے ... "مداخلت" ...]

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आप प्रश्न-उत्तर में ज्यादा मत जाइए, अपनी बात कहिए।

सैयद सिब्ते रज़ी: जैसा कि अभी भंडारी साहब ने कहा, मुझे यह कहने का अधिकार है कि भारतीय जनता पार्टी का डाउन फाल शुरू हो गया है। सवाल उठाया गया कि हम मायावती के साथ क्यों हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस तो हमेशा से शोषित वर्ग के साथ, दलित वर्ग के साथ रही है और हमारा जो उनके साथ एलाइंस हुआ है वह इसी सूरत को सामने रख कर हुआ है। निश्चित रूप से आपके साथ वह कुछ दिन के लिए गई थीं लेकिन मैं समझता हूं कि मनुवादी प्रवृत्ति का प्रयोग आपने ज्यादा किया और वह आपसे छटक कर इधर आ गई और हममें उनको ज्यादा विश्वास है। हमें आशा है कि कमजोरों के सिलसिले में जो कांग्रेस का मेनीफेस्टो है, उस चीज को सामने रखते हुए अब आगे हमारा वह एलाइंस रहेगा। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले जो हमारे सम्मानित सदस्य है, नेतागण है, उनसे कहूंगा कि धर्मनिरपेक्षता का नारा देने से ही धर्मनिरपेक्षता मजबूत नहीं हो सकती है। सोशल कोयलेशन जो है वह काफी सक्सैसफुल रहा है। मुस्लिम अक्लियतों, पिछड़े वर्ग के लोगों, सर्वहारा वर्ग के लोगों, कमजोर वर्ग के लोगों और शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने इस पूरे एलाइंस को चाहे वह कांग्रेस और बसपा का हो या चाहे वह यूनाइटेड फ्रंट का हो, उसको वोट दिया है और वह ज्यादा अच्छी स्थिति में आये है।

3.00 P.M.

ऐसी सूरत में, जब इस तरह का एक सोशल कम्बिनेशन बन गया है तो राजनीतिक ध्रुवीकरण का भी सही तौर से प्रयोग होना चाहिये। वहां पर शीघ्र एक ऐसी सरकार बननी चाहिये जो लोकप्रिय सरकार हो, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों में यकीन रखती हो। निश्चित रूप से जातीय, धर्म की संकर्णिता से ऊपर उठकर, व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर हम एक ऐसी सरकार वहां पर दें जिसकी आकांक्षा उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से कर रही है। मुझे आशा है कि हम इस पर विचार करेंगे। इस सिलसिले में हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†[شری سید سبط رضی "اتر پردیش": مانیہ مہودے - آج جس بات پر چرچا ہو رہی ہے اسمیں سرکاریہ آیوگ کی بات کی مرتبہ لکھی گئی ہے - کئی مرتبہ یہ پریاس کیا گیا ہے کہ شاید راجیہ پال نے اپنے وویک کا صحیح پریوگ نہیں کیا ہے سرکاریہ کمیشن رپورٹ وولیوم ایک پیج ۲۸ کے اوپر اسپشٹ روپ سے یہ کہا گیا ہے :-]

"The Governor, while going through the process of selection described above, should select a leader who, in his judgement, is most likely to command a majority in the Assembly. The Governor's subjective judgement will play an important role".

†[اس پورے پراسس میں راجیہ پال کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ایسے ویکتیوں کو سرکار بنانے کیلئے امنترت کریں جسکے پاس اپنا بہومت سدھ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی آشواسن دینا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اتنے نمبرس اور اتنی سنکھیا ودھایکوں کی اپنے پاس رکھتا ہے کہ وہ جب سدن بلایا جائے تو اپر ہاؤس سدن میں مکھیہ منتری بنائے جانے سے پہلے اس بات کا آشواسن دے دے کہ اسکے پاس اتنی سنکھیا ہے - بھارتیہ جنتا پارٹی

*[ ] Transliteration in Arabic Script.

ودھان سبھائیں ہیں ہماری کاریہ والیکاؤ
ہیں انکا اپنا اپنا استھان بنے رہنا چاہیئے۔
۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو بھارت کے اندر جو حادثہ ہوا
اور مجھے بہت افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ ان
لوگوں کے سامنے ہوا جو دیش کی بڑی
راجنیتک پارٹی کے نیتا تھے۔ اور اس وقت
سنودھان کی جس طرح سے دھجیاں
اڑائی گئیں۔ میں نہیں سمجھتا آج سدن
میں اپنی سرکار کو امنترت نہ کئے جانے کے
سمبندھ میں بار بار سنودھان کی دھائی
دئے جانا۔ دل سوین روپ سے سمکش ہے
نہیں سرکار بنانے کیلئے اور بار بار گورنر کا
نام میں سمجھتا ہوں لیا جانا کوئی مناسب
بات نہیں ہے۔ جو دوسرے دل ہیں خاص طور
پر بسپا نے بھی اس بات کو لکھ کر دے دیا
ہے کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ ملکر
سرکار بنانے کیلئے تیار نہیں ہے۔ ایسی صورتحال
میں یہی ایک وکلپ رہ جاتا تھا کہ وہاں
راشٹرپتی شاسن گھوشت کیا جائے۔ جیسا
کہ ابھی جسٹس رضا نے اپنے الہ آباد ہائی کورٹ
بینچ کے فیصلے میں کہا ہے۔ لوک تنتر سوین
نہیں مرتا بلکہ کبھی کبھی کارنوش لوک تنتر
کو آتم ہتیا کرنی پڑتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ ہم سب کو ملکر کوشش کرنی چاہیئے۔

نے نشچت روپ سے اس بات کا دعویٰ کیا
ہے کہ وہ سرکار بنانا چاہتی ہے۔ لیکن انھوں
نے گورنر کو کسی انٹرویو پر۔ کسی سطح پر کیوں
اپنی پارٹیوں کے سدسیوں کی لسٹ کے علاوہ
کوئی ایسی لسٹ نہیں دی ہے۔ جسمیں کم سے
کم نام ماتر کیلئے یہ کہا گیا ہو کہ دوسری پارٹی
کے اتنے لوگ اتنے ودھایک یا اتنے نرد لیئے
ہیں جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار کو مدد
کرنے کیلئے تیار ہیں۔ ایسی پرستھتی میں راجپال
کے پاس کوئی وکلپ نہیں رہ جاتا ہے سوائے
اسکے کہ وہ پن راشٹرپتی شاسن گھوشت
کئے جانے کے بارے میں۔ لاگو کئے جانے
کے سلسلے میں لیکن سرکار کو اپنی
ریکمنڈیشن دے۔ ابھی ہمارے بڑے
لائق دوست بھنڈاری صاحب تقریر کر
رہے تھے۔ اور انکی پارٹی کے جو دوسرے
وکتا تھے انھوں نے بھی سنودھان کی اور
آرٹیکل ۳۵۶ کی دھائی دی کہ اسکا
غلط استعمال کیا اور سنودھان کے خلاف
کھلواڑ کیا گیا میں بڑی نمرتا کے ساتھ کہنا
چاہونگا کہ یہی تو ہمارا کہنا ہے کہ سنودھان
کی ریسپکٹیبلٹی۔ سنودھان کا آدرش اور
سنودھان کے تحت جو بھی ہماری جوڈیشری
ہے۔ ہماری پارلیمنٹ ہے۔ سنسد ہے۔

میں نہیں دے سکتی ہیں۔ اسکی وجہ سے ہمارا
وکاس۔ ہماری ترقی نہیں ہو پا رہی ہے۔
اور لا اینڈ آرڈر کی بہت ساری چنوتیاں
کھڑی ہو گئی ہیں۔ نشچت روپ سے یہ کہا
جا سکتا ہے کہ کیندر سرکار کے اندر مانیہ
راشٹرپتی نے ایک ایسی سرکار کو آمنترت
کیا جسکی میعاد نہیں تھی لیکن وہ سرکار
جسکو موقع دیا گیا تھا وہ وفل رہی۔ اپنا
بہومت سدھ کرنے میں جو ۱۳ دن کی سرکار
تھی تو نشچت روپ سے ان ۱۳ دنوں کے
اندر وہ استھیر تو نہیں ہو سکا جسکی ہم
سنبھاونا کرتے تھے۔ اور آج بھی کرتے ہیں۔
میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ راج پال کے
سامنے یہ ادھار بھی نشچت روپ سے
ہے۔ کیندر سرکار میں جب ایک اکثریت
سرکار کو موقع دیا تو وہ زیادہ دن نہیں
چل سکی۔ پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ جب
جب بھی اکثریت کی سرکاروں کو۔ چاہے وہ
نیلم سنجیوا ریڈی کے زمانے میں رہا ہو
چاہے وہ وینکٹ رمن صاحب کے زمانے میں
رہا ہو۔ جب چندر شیکھر جی کو انھوں نے
بلایا تھا۔ تو ایسی صورت میں بھی استھائی
سرکاریں نہیں ہو سکتیں اور الٹی میٹلی
پھر چناؤ کیلئے جانا پڑا۔ جب راج پال کے

کہ اتر پردیش میں ایک ایسی پرستھتی آ کر
ابھری ہے جس میں لوک تنتر کو پوری طرح
سے موقع نہیں مل پا رہا ہے چنے ہوئے نمائندوں
کو سرکار بنانے کا۔ ایسی صورت میں جبکہ ہم
یہ بار بار کہتے ہیں کہ لوگوں نے سامپردائک
اور سیکولر پالیٹکس کرنے والے لوگوں کو
ریجیکٹ کیا ہے۔ تو نشچت روپ سے یہ جو
دھرم نرپیکشتا وچار دھارا ہے۔ اس پر وچار
رکھنے والی پارٹیوں کی یہ ذمہ داری
زیادہ بنتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ ایک لوک
پریے سرکار بنے۔ ابھی بھی سمے گیا نہیں ہے۔
پرستھتیاں ابھی بھی بدلی جا سکتی ہیں۔
ہماری جو سنیکت مورچہ کی سرکار ہے۔
اسکی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ
اس معاملے میں اگوائی کرے اور وہ
جو ضد کا ٹیم ہی۔ ناٹ سنڈروم چل رہا
ہے۔ ویکتی واد کے اوپر ہم زیادہ جا رہے
ہیں تتھا لوک تانترک ملیوں کا ھن ہو رہا
ہے۔ انکو تباہ کیا جا رہا ہے اس پر ہماری
زیادہ توجہ نہیں ہے۔ ملکر بیٹھا جا سکتا
ہے۔ ایک لوک پریے سرکار دی جا سکتی
ہے وہاں پر۔ لوک پریے سرکار نہ ہونے کی
وجہ سے پردیش کی جنتا کا نقصان ہوتا ہے
سنہ ۱۹۸۹ آج تک استھائی سرکاریں اتر پردیش

سامنے ایسی پرستھتی ہے تو نشچت روپ سے
راجہ پال کے سامنے کوئی وکلپ نہیں ہے۔
کہ وہ اس معاملے میں اور کچھ کرے۔ ہندوستان
کے دوسروں کو یہ ادھیکار ہے کہ اپنا فیصلہ
کریں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بہت زوردار طریقہ
سے کہتی ہے اسکا جو بیس ہے ختم نہیں ہوا ہے
میں بھنڈاری جی کی اس بات پر ان سے
ایگری نہیں کرونگا۔ آپکو نشچت روپ سے
سپشٹیکرن کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ غلط فہمی
کا شکار نہ رہیئے۔ جو پرستھتی آپکی لوک سبھا
کے چناؤ میں تھی وہ پرستھتی اب اتر پردیش
میں سماپت ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ
وہاں کے لوگ نرداسے جاگ رہے ہیں اور جو
سامپردائک جذبات کا کھیل آپنے کھیلا تھا۔
اس کھیل کا جادو اب ٹوٹ رہا ہے لوک سبھا
میں آپنے دیکھا کہ آپکی لگ بھگ ۱۲۳۶ استھانوں
کے اوپر برتری تھی۔ لیکن ابھی جو ودھان
سبھا کے چناؤ ہوئے ہیں اسمیں آپکی برتری
کافی گھٹ گئی ہے اور قریب ۱۷۶-۱۷۷ کی
سنکھیا میں پہنچ گئی ہے ... "مداخلت" ...
ایسی صورت میں جب اسطرح کا ایک سوشل
کامبینیشن بن گیا ہے تو راجیہ تک گورنر کا
بھی صحیح طور سے پریوگ ہونا چاہیئے وہاں
پر شدھ ایک ایسی سرکار بننی چاہیئے جو لوک پرئے
سرکار ہو۔ دھرم نرپیکش سدھانتوں میں
یقین رکھتی ہو۔ نشچت روپ سے جاتی۔
دھرم کی سنکرنتا سے اوپر اٹھکر ویکتی واد
سے اوپر اٹھکر ہم ایسی سرکار وہاں پر دیں۔
جس کی آکانکشا اتر پردیش کی جنتا بہت دنوں
سے کہہ رہی ہے۔ مجھے آشا ہے کہ ہم اس پر
وچار کریں۔ اس سلسلہ میں ہماری ذمہ داری
زیادہ بنتی ہے ان شبدوں کے ساتھ میں
اس پرستاؤ کا سمرتھن کرتا ہوں۔ دھنیواد
"ختم شد"]

मोहम्मद मसूद खान (उत्तर प्रदेश): मोहतरमा, जो मौजूदा इलेक्शन उत्तर प्रदेश में विधान सभा का हुआ था उसमें कुछ चीजें बहुत अस्पष्ट और बगैर किसी सबूत के साबित हुई। पहली बात तो यह है कि इस इलेक्शन के नतीजों में किसी पार्टी को भी अक्सरियत हासिल नहीं हुई और गवर्नर साहब ने यह फैसला किया कि किसी भी पार्टी की अक्सरियत हासिल नहीं हुई है इसलिये गवर्नर राज रहना चाहिये। गवर्नर साहब का यह फैसला सही है और मैं इसकी ताईद कर रहा हूं। मेरे बुजुर्ग साथी श्री सुन्दर सिंह भंडारी अभी दलील दे रहे थे कि जिस तरह से केन्द्र में भाजपा की सरकार बनी थी उसी तरह से बड़ी पार्टी होने के नाते उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिये। क्या वे लोग फिर वही हश्र देखना चाहते थे जो केन्द्र में हुआ? इनको चाहे दया आई हो या न आई हो, मेरे दोस्त हैं, 13 दिन के बाद जब ये कुर्सी से उतरे तो मुझको इनपर बड़ी दया आई। मैं बहुत खुश हूं कि गवर्नर साहब ने इनको फिर मौका नहीं दिया ताकि उस सिच्युएशन को न लाया जाये। इन पर हमको खुश होना चाहिये, ये नाराज हो रहे हैं।...(**व्यवधान**)

एक चीज और स्पष्ट हुई कि मैंडेट बीजेपी के

खिलाफ हुआ है। जो ऐसे दिमाग के लोग थे, जो कि यहां फिरकापरस्ती नहीं चाहते थे, उनके हक में हुआ है...(**व्यवधान**)

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: अलग-अलग लड़ने पर भी...(**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद मसूद खान: उस पर भी हुआ है और यही नहीं जैसे कोई कार्रवाई लिखी जाती है दूसरी मीटिंग में, उसकी पुष्टि होती है, कंफर्मेशन होती है। राज्य सभा के इलेक्शन में उस विधान सभा की पुष्टि हो गई, गैर बीजेपी के लोग जीते।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: वह फिर से खारिज भी हो गई है।

श्री मोहम्मद मसूद खान: मैं उस बात पर आ रहा हूं। मोहतरमा मायावती जी की ताईद यहां कांग्रेस के लोग करते हैं। एक मर्तबा आपने धोखा दिया इसलिए वह खुद अब यह सोच रही हैं कि अबकी कांग्रेस हमको धोखा देगी। लिहाजा अब सूरतेहाल यह है कि सिवाय गवर्नर राज के दूसरी चीज उस प्रदेश में नाफिज नहीं की जा सकती। एक महीने के अंदर गैर बीजेपी के लोगों को अक्ल आ गई, उन्होंने राज्य सभा के इलेक्शन में एक सहमति बनाकर अपने कंडीडेट्स को जिताया और बीजेपी के कंडीडेट्स को हराया। हो सकता है एकाध महीने में यह गुड फेथ आ जाये कि जितने गैर बीजेपी के लोग हैं चाहे कांग्रेस के भाई हों, बसपा के भाई हों या युनाइटेड फ्रन्ट के भाई हों, इस पर तीनों सहमत होकर यहां सरकार बना लें। गेंद उनकी फील्ड में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पब्लिक यह भी देखती है कि इन तीनों पार्टियों में कौन लोग है जो खाली एक व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं जिसकी वजह से सरकार नहीं बन रही है। इसके वास्ते मैं सिर्फ एक अपील करूंगा कि फर्द से बड़ी पार्टी होती है और पार्टी से बड़ा मुल्क होता है मुल्क के वास्ते फर्द और पार्टी को भी कुर्बान किया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति के ऊपर चाहे वह कैसा भी हो उस पर बहुत ज्यादा जिद्द करके पूरे प्रदेश को गवर्नर राज में ज्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता। इसलिए सभी बैठकर एक सहमति बनायें और उसके बाद प्रदेश के अंदर एक पॉपुलर गवर्नमेंट लायें वरना जो लोग जिद्द किये हुए हैं उनके खिलाफ पब्लिक सोच रही है कि उनकी वजह से वहां पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं बन रही है। जैसे कि सब को मालूम है, उत्तर प्रदेश कोई छोटा प्रदेश नहीं है, बहुत बड़ा प्रदेश है। यहां बहुत सी समस्याएं हैं। अगर मैं उनको गिनाने लगूं तो इतना वक्त नहीं है लेकिन मैं सिर्फ दो मिसालें आपको देता हूं। मुझे माफ करेंगे, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। आज तक गवर्नर साहब अपने को प्रोबेशन पीरियड में समझते रहे और आज हम लोग अगर कनफर्म कर देंगे उनके रूल को तो कल से ला एंड आर्डर सिचुयेशन, विकास के काम की गति जो धीमी है, वह तेज़ करने लगेंगे। (**व्यवधान**) एक मिसाल मैं यह देता हूं कि जैसे बिजली आज कल किसानों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे ज़िले में 6-6 महीनों से ट्रांसफर जले पड़े हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे हैं। अब किस से कहें? पापुलर गवर्नमेंट होती तो ज़रूर कहते। गवर्नर साहब अपने को कमज़ोर समझ रहे हैं। एक बहुत बड़ी पार्टी जो अपना दावा करती है, अखबारों में उनको बुरा-भला कहती है, गाली देती है, कुछ और लोग भी बुरा-भला कहते हैं, ऐसी सूरत में निहायत ज़रूरी है कि हम गवर्नर रूल को कनफर्म करें (**व्यवधान**)

श्री महेश्वर सिंह: वह तो आज भी बैठे हैं, करवा लीजिये (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद मसूद खान: अभी तो उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, हिमाचल प्रदेश की बात नहीं हो रही है। एक महीने, दो महीने के अन्दर सब लोग बैठ कर जो गैर बी०जे०पी० के लोग हैं अपनी ज़िद छोड़ कर, किसी एक व्यक्ति, किसी एक लीडर के नाम पर सहमति व्यक्त कर के पापुलर गवर्नमेंट बनावें लेकिन जब तक पापुलर गवर्नमेंट नहीं बनती तब तक उत्तर प्रदेश में इसके सिवाय राष्ट्रपति राज के दूसरा कोई हल नहीं है। यह भी कहा गया है कि जिस तरह से राज्य सभा के चुनाव पर आपकी सहमति बन गई थी, पब्लिक का ले मैन पूछता है कि उसी तरह से आप उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सहमति क्यों नहीं बना रहे हैं। हमने कहा कि जो लोग ज़िद किये बैठे हैं उन्हीं से जा कर पूछो। हम लोगों की कोई ज़िद नहीं है। मैं इसी उम्मीद के साथ इसकी ताईद करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि एक महीने, दो महीने में बहरहाल इसी अवधि के अन्दर सहमति बना कर गैर-बी०जे०पी० सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकेगी। उसके बाद ला एंड आर्डर, विकास का काम बनता रहेगा। बहुत बड़ा प्रदेश है। इसमें देर हो जाएगी, एक दो दिन की देरी भी बहुत देरी होती है मगर एकाध महीने के अन्दर यह हो जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। यह कहने के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): श्री खान गुफरान ज़ाहिदी। ज़ाहिदी साहब का आज प्रथम भाषण है, कृपया शान्तिपूर्वक सुनें।

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश): शुक्रिया। महोदया, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी कल सदर राज के नफास की तोहसी के सिलसिले में रेज़ोल्यूशन पेश हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक आवामी सरकार इतखाबात के बाद वजूद में आती और वह अपना काम करती। हर हाल में आवामी हकूमत सदर हकूमत से बेहतर हकूमत मानी जाती है और समझी जाती है। लेकिन हमारे माननीय सदस्य श्री राज नाथ सिंह जी ने जम्हूरियत का नाम ले कर यह कहा, जब वह अपना प्रथम भाषण दे रहे थे कि वहां के राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन को दोबारा लागू कराया है और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होते हुए भी उसको नहीं बुलाया है, मैं समझता यह हूं कि उन्होंने यह बात बिलकुल गलत और गैर माकूलियत की बुनियाद पर कह दी। यह माकूल बात नहीं थी। सच्ची बात तो यह है कि गवर्नर साहब के सामने दिल्ली का नक्शा पहले से मौजूद था जहां पर राष्ट्रपति शासन का कोई वजूद नहीं है, कोई कांस्टीट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है, जैसे कि हमारे आदरणीय सदस्य जितेन्द्र प्रसाद जी ने कहा। उस सबूत के होते हुए भी किसी के दावे पेश कर देने से, खाली खुली दावे जो पेश किए जाते हैं, हवाई दावे, उससे कुछ नहीं होता। माननीय सदस्य भंडारी जी भी कह रहे थे हमारी बहुत जबर्दस्त बहुमत है। हम साबित कर ले जाएंगे और अभी यह भी जिक्र किया कि 19 आदमियों ने बढ़कर वोट दिए हैं हमको। मेरा कहना यह है कि एक सीधी सी बात है कि उनकी बहुमत नहीं थी। बढ़ाकर दावे कर रहे थे। एक गुब्बारा मुसलसल फुलाने का जो तरीका रहा है, भ्रम फैलाने का जो रास्ता बनाया हुआ है, वे बस वही करते रहे। अब गुब्बारा फूट गया है। अभी-अभी राज्य सभा के इलेक्शन हुए। उन्होंने अपने मेन कन्टेस्ट में तो अपने कमिटेड, भारतीय जनता पार्टी की नज़रियात से कमिटेड लोगों को नुमाइंदा बनाया और उनकी जीत सुनिश्चित हो जाने के बाद अब जब देखा कि बाई इलेक्शन हो रहे हैं तो उन्होंने जानबूझकर नहीं सोच समझकर यह फैसला देने के लिए कि जो वे भ्रम फैला रहे हैं वह पूर्ण हो जाए, मुल्क के बड़े-बड़े सरमाएदारों को अपना नुमाइंदा बनाया और यह भी नहीं देखा कि नज़रियाती तौर पर वे उनके अपने आदमी हैं। और क्या मकसद था इसका? पद और पैसा, दो ही लोभ देकर, बाहर रहकर, बहुमत को साबित करने का जो एक गुब्बारा फुलाया जा रहा था वह साबित हो जाए और जो बयानात वे दे रहे थे उनकी तसदीक हो जाए इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया और ऐसा नहीं कि वे थोड़ा बहुत कामयाब नहीं हुए। मैं नफसियाती तौर पर जानता हूं। नज़रियात मिनटों में दे दिए गए और 18 या 20 आदमी जो भी थे, इधर के उधर हो गए, किधर हो गए, आपको भी पता नहीं होगा कि कौन किधर का कहां गया। आपको 18 मत पड़ गए और उसको आपने कहा कि हम बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरफ के माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व बंधु और उनके स्टेट हेडक्वार्टर के जो तर्जुमान हैं टंडन जी, उन्होंने कहा कि अगर लिखित तौर पर गवर्नर साहब हमको यह लिखकर भेज दें कि हम परेड करा दें और वह बहुमत समझ में आ जाए उनको तो हम परेड कराने के लिए तैयार हैं। लिखित, तहरीरी तौर पर आना चाहिए। माननीय भंडारी जी, 24 घंटे गुजरे नहीं थे माननीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने बयान दिया कि नहीं हम बहुमत को केवल असेम्बली में साबित कर सकते हैं। ये क्या ब्यान है? ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। बाहर चीफ मिनिस्टर की नामजदगी के बगैर बहुमत साबित करने की बात थी और असेम्बली में कांस्टीटयूशन के हिसाब से लीडर आफ हाउसेज तय करने के बाद ही बहुमत साबित करने की हुई। ये दोनों मुख्तलिफ बातें थीं। तो पद और पैसे के लोभ से अगर 18 आदमी बदल गए, उसको आप यह कहेंगे कि हम बहुमत की तरफ चले गए, यह बात समझ में नहीं आती है और यह गुब्बारा नाक आऊट हो गया। दावे पर दावा जारी है और आप मुसलसल करते जा रहे हैं। आपने कितने दावे किए? मीडिया के कमिटमेंट के साथ साथ 240 सीटें आ रही हैं, 250 सीटें आ रही हैं, भविष्यवाणी पर भविष्यवाणी की जा रही है पर वह सब ग्राफ बराबर गिरता जा रहा है। प्राइम पर पहुंच चुके है आप। सिर्फ इसलिए कि दिल तोड़कर कोई भी चीज बनायी जा सकती है और फौरन कुछ हासिल किया जा सकता है लेकिन सेक्युलर फोर्सेज जो इस मुल्क की बुनियाद है जो इस मुल्क की गंगा-जमुनी तहजीब का आसार है जो इस मुल्क की सबसे बड़ी हमारी खूबी है उस आसार को अब भी आघात पहुंचेगा तो थोड़ी देर के लिए आप फायदा पाएंगे। इस अब की बार अटल बिहारी वाजपेयी कहकर आपने बहुत बहुमत हासिल किया। लेकिन जितना था उससे एक आगे बढ़ सके और आपको इस्तीफा देना पड़ा। यह आपके सामने अभी आ चुका है। मैं इससे ज्यादा और नहीं कुछ कहना चाहता लेकिन इतना आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि अभी हमारे माननीय सदस्य ने, राजनाथ जी ने कल एक बात कही ..। कि कोई जस्टिस गुप्ता जी थे। एक फैसले का हवाला दिया, जम्हूरियत के नाम पर और जम्हूरियत को

तोड़ने का सिलसिला तो कोई आपसे सीखे। नाम जम्हूरियत के लेंगे और जम्हूरियत को तोड़ेंगे। अगर राज्यपाल यह काम न करते और बुलाकर आपकी सरकार को बना देते और फिर वहां वह सरकार टूटती तो फिर कंस्टीट्यूशनल क्राइसेस पैदा होता। आप क्या चाहते थे कि कंस्टीट्यूशनल क्राइसेस आज पैदा हो जाए? आपका बहुमत न होते हुए भी पैसे और पद के लोभ के बावजूद भी आप दो सौ के आंकड़े को पहुंच नहीं सके तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? अभी आपने एक बात कही कि कांग्रेस ने तो 40 वर्ष तक परसेंट और 30 परसेंट, 35 परसेंट वोट पाकर सरकारें चलायी हैं। लेकिन परसेंटेज आफ् वोट से नहीं मैंबर असेंबली की तादाद की बुनियाद पर सरकार बनाई जाती है तो 213 की तादाद से हमेशा कांग्रेस ने जो सरकारें बनायी हैं वह तादाद के एतबार से उनका बहुमत हुआ है, कभी इस तरह मिल-जुल कर नहीं बनायी हैं। महोदया, आंकड़ों के खेल हम भी जानते हैं और आंकड़ों की तरफ जाना भी नहीं चाहिए। 175 और 164, दो के हवाले दिए हैं। इसमें सीधा-सीधा सरकार के बनाने के सिस्टम को दिया गया है, गवर्नर के डिस्क्रीशन को, उसकी रिपोर्ट के बारे में। यहां यूनाइटेड फ्रंट की सरकार है, राष्ट्रपति हैं, वह फैसला लेते हैं कि क्या फल्यूड सिचुएशन है। जो राजनीतिक संकट है उस संकट को दूर करने के लिए सैकुलर पार्टियां शक्सियात से हट कर, हमारी जो सैकुलर पार्टियां हैं जिन्होंने मिल कर सैकुलरिज्म की बुनियाद पर और धर्म निरपेक्षता की बुनियाद पर उन पार्टियों को खरा जवाब दिया जिन्होंने संपत्त रखने वाले उम्मीदवार बनाए थे और पैसे का लोभ देकर जीतना चाहा था और अपनी जो बात कहते थे उसको पूर्ण करना चाहते थे, उनको एक मौका दिया है, एक फैसला लिया है तो हम समझते हैं कि नज़रियात की बुनियाद पर एक बार फिर बैठ कर एक फैसला लेना होगा। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने, हमारे सहयोगी ने, प्रिय बंधु ने, एक बात कह दी और यह कहा कि माननीय जितेन्द्र प्रसाद जी को दलित महिला से बड़ा ही प्रेम हो गया है। दलित महिला से प्रेम तो सब से पहले आपने किया था। उसके बाद हमारे इस तरफ के माननीय बंधुओं ने किया था। ...(व्यवधान) हमारा प्रेम, हम अपना अहदनामा लिए हुए हैं। महोदया, हमारा अहद नामा हमारी तरफ से टूटने वाला नहीं है। आपने तो किया और खुद ही तोड़ा है। हमारी तरफ से टूटने वाला नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री महेश्वर सिंह : आपका प्रेम अटूट रहे।

श्री खान गुफरान जाहिदी : हां, मैं तो यही चाहता हूं। यह अटूट प्रेम आज का नहीं है। ...(व्यवधान) जी नहीं, आखिरी नहीं है, यह शुरू दिन से ...(व्यवधान) मैंने तो यह मालूम किया था कि जब कभी मेडन स्पीच होती है तो बीच में से कम से कम बोला जाता है। ...(व्यवधान)

श्री रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : हमें बड़ी खुशी है कि आप एप्रीशिएट कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हमारा कमिटमेंट आज से नहीं है नज़रियाती है वरना हमने उनको आरक्षण न दिया होता, हमने कंस्टीट्यूशन के एतबार से पिछड़े लोगों को आरक्षण न दिया होता। हमने सारे ये काम वे किए हैं जिससे हमारा अटूट रिश्ता है। उस अटूट रिश्ते की तसदीक करते हैं, तौसीक करते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यही हमारा फैसला है। हम तो सिर्फ यह चाहते हैं। एक वाकया बयान करके कहना चाहता हूं। एक मर्तबा दो हिस्सों में टकराव हुआ। मुसलमानों के दो हिस्सों में टकराव हुआ। उनके दोनों नेताओं को बुलाकर कांग्रेस के एक मुख्य मंत्री ने कमरे में बंद करके बैठा दिया। मैं रामगोपाल जी से जिक्र कर रहा था। उनको बैठा दिया और जब वह कहने लगे कि हम अपने घर को जा रहे हैं तो कह दिया कि आप टेलीफोन भी नहीं कर सकते, आप तो हमारे मेहमान हैं। तय करके जाइये। तो मैं सैकुलर पार्टी के तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं कि कमरे में बंद हो जाइये। शख्सियात को हटा दीजिए, नज़रियात पर आ जाइये और यह फैसला दीजिए ...(व्यवधान) और आपको, भाजपाई जहनियत को, जो जहनियत नफरत का इजहार कर रही है, जो जहनियत नफरत को तोड़ कर, दिलों को तोड़ कर राज की तरफ जाना चाहती है, दिलों को तोड़ कर राज की तरफ बढ़ा नहीं जा सकता, दिलों को जोड़ कर राज की तरफ बढ़ा जा सकता है। आप को अपने विचारों में जो फैसला करना हो करें लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं कि जब-जब सांप्रदायिक ताकत बढ़ी है, मुल्क टूटे हैं, दिल, टूटे हैं, मस्जिदें टूटी हैं और मंदिर टूटे हैं।

श्री सोमपाल (उत्तर प्रदेश): गुफरान जी, अभी जो आप ने सुझाव दिए हैं, वह दोनों नाम भी बता दीजिए कि किन को बंद करना है?

श्री खान गुफरान जाहिदी: मेरा कहना है कि आपस में बैठकर फैसला करें। मैं आप से अर्ज करता हूं कि आप ने एक जज का फैसला लिया है। क्या आप ने सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ फैसला नहीं लिया, काम नहीं किया? क्या आप ने अदलिया का कहना माना? आप पर पाबंदी लगायी गयी थी तो आप ने उस को तस्लीम किया? तो जो मीठा-मीठा है वह अच्छा है

और कड़वा-कड़वा थू। एक ने कह दिया, तो वह आप ने सीने से लगा लिया और जो आप के खिलाफ कहता है, आप उस के खिलाफ बोलते हैं। यह सच है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करता है तो वह आप के पक्ष का न हो तो आप हवाई किले बनाना शुरू कर देंगे और नफरत को और आगे बढ़ाएंगे। यह मेरी राय बनती है और यह मेरा मानना है।

महोदया, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि सच तो यह है कि गवर्नर ने कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस को बचाया है क्योंकि आप सही तौर से मेंबर्स की परेड नहीं करा सके। जब गुजरात में आप की बड़ी ताकत थी, थे जब आप मेजोरिटी में तो आप ने सब को खड़ा कर दिया, लेकिन लखनऊ में एसेंबली से लेकर राज-महल तक, एक किलोमीटर में आप अपने आदमी नहीं पहुंचा सके। आप को बार-बार कहा जा रहा है कि बहुमत साबित कर दीजिए। वह आप साबित नहीं कर सके और कहते हैं कि हमारा बहुमत है।

PROF. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Will you please quote the article of the Consititution of India under which it has been provided

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी: कहां से आप ने कांस्टीट्यूशन बीच में रख लिया? वह तो भंडारी जी ने अभी 175, 174 की बात कही, 165 की बात कही कि किसे वजीर बनाना चाहिए। मैं उन की राय से इत्तफाक करता हूं कि अगर मजाक बनाना हो और जलील करना हो तो एक दिन के लिए एसेंबली का सत्र बुला लीजिए और वजीर बना दीजिए। फिर 6 दिन के बाद फिर दूसरे के लिए एक दिन कर दीजिए। तो आप को करना वही है जो कांस्टीट्यूशन का प्रोविजन कहता है। तो वहां पर किसी एक का बहुमत नहीं हो सकता, किसी ग्रुप का बहुमत नहीं हो सकता और वह साबित भी नहीं हो रहा है। यह अभी राज्य सभा के इलेक्शंस से भी साबित हो गया है कि आप का फैसला गलत है, आप का कथन गलत है। इसलिए आप अपने को कंसीडर कीजिए, रिकंसीडर कीजिए और आप जो दावे पर दावा पेश कर रहे हैं वह मत कीजिए। मुझे चलते-चलते एक बात कह देनी है कि नफरत की बात को खत्म करें। सिलसिला वह बनाएं जिस से कि एक आवामी हुकूमत वहां बने। इस में जिम्मेदारी सेकुलर पार्टियों की भी है। शख्सियत से हटकर नजीरात पर एका हो। अगर हम ने शख्सियत से हटकर नजीरात पर फैसला सेंटर में लिया है और एक बड़ी ताकत होते हुए भी एक राय दी है और आप को वही फैसला रियासत में लेना होगा। आप को नंबर दो की पोजीशन पर आनेवाले ग्रुप को मौका और सपोर्ट देना होगा और इस तरह दोनों जगह की सरकारें एक दूसरे के लिए मंजूर हो जाएंगी। तब वे आवाम को मंजूर होंगी। वही मेरी उम्मीद है और यही मेरा मानना है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, आप का बहुत-बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया और मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की है। दिलों को और किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इतनी बात जरूर जानता हूं कि गंगा-जमुनी तहजीब से हटकर जब-जब आप इस तरह के फैसले लेंगे तो आप सिमटते चले जाएंगे और वह इसलिए कि सोते-सोते जब जाग शुरू होगी तो जम्हूरियत की आवाज बुलंद होगी और अपनी कोई आवाज नहीं रह जाएगी। फिर डिक्टेटरशिप का जेहन और फासिस्ट का जेहन काम नहीं करेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।

PROF. NAUNIHAL SINGH: Thank you. Madam. Madam, I endorse a very decent and able speech of Shri S.S. Bhandari Ji, who has actually covered the whole ambit of the requirements of the Constitution, in this particular respect. Madam, I have listened to the various members supporting the Resolution, with rapt attention. But I am shocked to say that they have generally spoke beyond the spirit and content of the Constitution of India.

Madam, I rise to oppose the Resolution seeking approval of the President's Proclamation in relation to U.P. The inept and partisan handling of the post-poll situation in Uttar Pradesh seems to have brought us almost to the edge of the precipice. Madam, the elections have been completed, the results are out, the people have given their verdict, and it is now for the Governor to discharge his Constitutional duty and appoint the Chief Minister. There is nothing unsound in no party getting an absolute majority in the polls. But under the provisions of Article 356 of the Constitution, as it stands today, President's rule can be extended beyond one year by resolutions of the Houses of Parliament only if a proclamation of emergency is in operation and the

Election Commission certifies difficulties in holding elections.

No proclamation of emergency is currently in operation and election in UP. have already been held. The President's rule in the State complete the constitutionally permissible period of one year on October 17 midnight when it automatically expired and ceased to operate.

Now an extension can only be done by amending the Constitution, as was done in the case of Punjab. And that also is hardly possible in the context of the present composition of the Houses of Parliament. In any case, there is no lime left for that option.

Madam, what is now Constitutionally appropriatc and permissible is not politically feasible or acceptable to the powers that be. Madam, considerable damage has been done by the Governor giving an impression of having made up his mind in advance. The Public pronouncements of his predilections were unfortunate. His latest declaration against the BJP is even more so.

Since the Constitution provides that there "shall" be—Madam, 1 repeat the word "shall"—a Council of Ministers, and the President's rule now expires, the Governor has no choice but to call the leader of the largest party in the House and appoint him Chief Minister and ask him form his Council of Ministers.

Madam, if we arc for the foundational norms of democracy, constitutionalism and parliamentary culture, we will have to rise above the politics of convenience and power arithemetic. We must accept and respect the Constitution as an impartial arbiter and umpire in the midst of all political controversies ... *(Interruptions)*

श्री अखिलेश दास: मैडम, पाइंट आफ आर्डर है। मैं एक नया मैम्बर हूं, अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा था कि क्या पढ़कर स्पीच देना एलाऊ है? ... (व्यवधान) ...

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: पढ़ नहीं रहे हैं, रेफर कर रहे हैं।

PROf. NAUNIHAL SINGH: These are notes; you can see. These are my notes, you can just see.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): पढ़ना नहीं है, नोटस से कन्सल्ट कर सकते हैं।

He is consulting his notes.

PROF. NAUNIHAL SINGH: Whether we like the BJP or not, the hard political reality is that, both in terms of the percentage of votes polled and the number of seats won, of all the parties in the field, it has been given the best mandate by people of U.P. It is politically puerile and absolutely indefensible to treat a party with the maximum support of the people as an untouchable and keep it out of power by small groups, opposed to each other, ganging up aginst it. It is Constitutionally impermissible for the Governor to assume arbitary powers or to import fancy ideas of his responsibility to ensure stability. This is not permitted. Madam, it is for the Governor to invite the leader of the majority party or the party with the best mandate of the people to form a Government. Otherwise, the people are likely to react strongly if their mandate is flouted by a combination of the Governor's powers and the machinations of the power of Delhi.

It may be pointed out that President power under article 356 has been subjected to judicial review in the case of State of Rajasthan versus Union of India and later in the S.R. Bommai case. In the recommendations of the Sarkaria Commission the salutary principles established were (a) that article 356 must be used most sparingly in very critical situations and as a matter of last resort; and (b) that the question of majority of the Government should be settled only, I repeat the word 'only', on the floor of the Assembly and not by counting ihe

heads before the Governor. For the Governor to say that he tried his best to form a Government and failed/ hardly makes sense because the Constitution docs not entitle him to count heads or to determine how long a Government would last. All that he is expected to do under the Constituion is to appoint a Chief Minister. Thereatcr the Governor does not come into the picture as the Constitution makes the Council of Ministers responsible only to the Assembly and not to the Governor.

Madam, it is most astonishing how the continuation of President's rule in Uttar pradesh could even be thought of by giving the imposition a different name of a fresh proclamation. No euphemism or camouflage can conceal the harsh reality that President's rule continues in Uttar Pradesh. The Governor should have invited the leader of the party with the largest mandate, even if it was not absolute, to form a Government. The Consitution is an impartial arbiter and, therefore, cannot look at the ideology of any party, nor can it visualise a substitute for the will of the people. If those who are called upon to interpret and operater the Constitution are guided by political and partisan considerations, it is an affront to the Constitutional ethos, freedom and democracy.

Lastly, Madam, the Governor's action in Uttar Pradesh amounts to a Constitutional fraud. His decision was of doubtful Constitutional validity. It was politically totally wrong and morally wholly injustified.

Thank you.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (बिहार): शुक्रिया, मैडम वाइस चेयरमैन. इस वक्त यू॰पी॰ में गवर्नर रूल को बढ़ाने की सिफारिशत पर बहस हो रही है, मैं इसकी ताइद में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं.

मैडम, उत्तर प्रदेश सियासत और सलाहीयतों का भंडार समझा जाता है और इसने हिन्दुस्तान में हमेशा मरकज़ी सियासत का रोल अदा किया है. मुल्क की आजादी की शमा उस सूबे के हमारे बुजुर्ग लीडरों ने जिस तरह से जलाई, वे यादगारें तारीख के सफहात पर ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के आसमान पर भी चांद और सितारों से ज्यादा चमक के साथ रोशनी दे रही हैं. गंगा-जमुना के संगम में जो सूबा कोमों को मिलकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जीने की राह दिखलाता है, आज उसी प्रदेश और उसी सूबे में दिलों को बांटकर एक मज़बूत और मुस्तहकम हुकूमत न देने की राह दिखला दी गई. हमारे बी॰जे॰पी॰ के भाइयों ने इस बात पर जोर दिया है कि सबसे बड़ी अक्सरियत एम॰एल॰एज़॰ के ऐतमाद से बी॰जे॰पी॰ यू॰पी॰ में लेकर आई है, इसलिए गवर्नर साहब को उसे हुमूमत-साज़ी का मौका देना चाहिए था, लेकिन बहुत अच्छी बात बिरादरे मोहतरम खान गुफरान ज़ाहिदी साहब ने फरमाई कि बी॰जे॰पी॰ की वह अक्सरियत हुकूमत बनाने के लायक अगर होती तो हुकूमत बनाने से वे महरूम नहीं रह सकते थे.

एक गवर्नर की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने बुनियादी फरायज़ को समझे और मुल्क के सामने फैसला करते वक्त चाक-चौबंद रहे कि मुल्क की जम्हूरी रवायात कहीं से पामाल न हो सकें। गवर्नर साहब ने भी यकीनन जम्हूरी रवायात का सौ फीसदी ऐहतराम करते हुए जो फैसला लिया, वह बिल्कुल वाजिब था। एक दुहाई अपोज़ीशन पार्टी ने यह दी है कि यू॰पी॰ के गवर्नर ने मुल्क के कानून की धज्जियां उड़ा दीं। अगर बी॰जे॰पी॰ को हुकूमतसाज़ी का मौका वह दे देते तो शायद मुल्क के कानून का ऐहतराम बच जाता। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के कानून की धज्जियां जिस तरह से उड़ाई गई थीं, आज के बाद आने वाला कल जो 6 दिसंबर के रूप में हिन्दुस्तान में आ रहा है, वह हिन्दुस्तान की सरजमी पर उस वक्त तक बी॰जे॰पी॰ के जरिए कानून की धज्जियों को उड़ाने की शहादत देता रहेगा जब कि वहां पर बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर नहीं हो जाती ...(व्यवधान) आप सुन लीजिए, चूंकि कानून की बात अपने की है, कानून की धज्जियां उड़ाने वाला आपसे बढ़कर कौन था? आपने अदालत में हलफिया बयान दिया था कि हम उस इमारत को हाथ नहीं लगाएंगे। जो इमारत कानून की हैसियत बनकर चमक रही थी, बाबरी मस्जिद हिन्दुस्तान के कानून और जम्हूरियत की रवायतों के ऐहतराम की शक्ल में खड़ी थी, जिसको 6 दिसंबर को आपने तोड़ा ...(व्यवधान) जो लोग कानून की धज्जियां बाबरी मस्जिद को तोड़कर इस तरह से हिन्दुस्तान में उड़ा रहे हों, उन्हें यह कहने का क्या हक है ...(व्यवधान) अगर मंदिर था तो आपने मंदिर भी तोड़ा ...(व्यवधान)

हमने मस्जिद कहा तो आप कहते हैं मंदिर था। तो

वह मंदिर किसने तोड़ा? मंदिर तोड़ने वाले भी आप, मस्जिद तोड़ने वाले भी आप और कानून की धज्जियां उड़ाने वाली भी आप ...(**व्यवधान**) जो लोग मुल्क के कानून की धज्जियां उड़ा चुके, वही लोग आज कानून की दुहाई दे रहे हैं और यकीनन कानून उनकी बात का ऐहतराम जरूर करता अगर वह कानून की मयार पर पूरे उतरते। मैडम, 174 एम०एल०ए० लाने के बाद, बहुमत के मयार पर पूरा न उतरने के बाद भी हुकूमत मांगना और हुकूमतसाज़ी की दावत देने के लिए गवर्नर को मजबूर करना, यह तो खिसियानी बिल्ली के खंभा नोचने की अलामत है।

हज़रत, बात आई थी हमारी पार्टियों के आपसी तालमेल की। जब बी०जे०पी० के पास बहुमत नहीं था तो हमारा संयुक्त मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, बी०एस०पी०, यकीनन ये सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर हुकूमत बना सकते थे। यह अफसोस की बात जरूर है कि मालूम नहीं वह कौन सा मतभेद है जिसकी बुनयाद पर ये लोग इकट्ठा होकर एक हुकूमत नहीं दे रहे है। बात चली थी कि कांग्रेस ने प्रेम कर रखा है हरिजन से और पंडित जितेन्द्र प्रसाद जी का नाम लिया गया था और उसके जवाब में यह कहा गया कि साहब, आपने भी तो इससे पहले प्रेम कर रखा था। मैं यह कहता हूं कि आपने तो रक्षा-बंधन भी किया था और रक्षा-बंधन करने के बाद बहन से भाई इस तरह मुंह मोड़ लेता है, पहली मर्तबा यह देखा जा रहा है ...(**व्यवधान**) बाबर के बेटे हुंमायू ने भी रक्षा-बंधन के तहत एक रानी का साथ दिया था और उस रानी का साथ देने के बाद उसने उस रानी को मुकम्मल तौर पर फतह भी दिलवायी थी। रक्षा-बंधन के मुकद्दस कानून को आपने तोड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के जम्हूरी कानून को आप तोड़ दीजिए, रक्षा-बंधन के मुकद्दस कानून को आप तोड़ दीजिए, इतने कानून-तोड़क होने के बाद भी आप क्यों जिद कर रहे हैं कि हमारी सरकार बने? क्या हिन्दुस्तान को भी तोड़ने का आपका इरादा है? बहुत अच्छा किया गवर्नर ने जो आपको मौका नहीं दिया। अब इन सेक्यूलर पार्टियों को चाहिए कि आपस में तय करके एक बेहतर आदमी मुख्यमंत्री के रूप में दें ताकि यू०पी० में गवर्नमेंट बन सके। मैं इस प्रोग्राम की हिमायत करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।

†[مولانا عبید اللہ خاں اعظمی چھار]: شکریہ میڈم-وائس چیئرمین اسوقت یو-پی-میں گورنر دل کو بڑھانے کی سفارش پر بحث ہو رہی ہے-میں اسکی تائید میں بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں-

میڈم-اتر پردیش سیاست اور صلاحیتوں کا جھنڈا سمجھا جاتا ہے اور اس نے ھندوستان میں ہمیشہ مرکزی سیاست کا دل ادا کیا ہے-ملک کی آزادی کی شمع اس صوبے کے ہمارے بزرگ لیڈروں نے جس طرح سے جلائی وہ یادگار تاریخ کے صفحات پر ہی نہیں بلکہ ھندوستان کے آسمان پر بھی چاند اور ستاروں سے زیادہ چمک کے ساتھ روشنی دے رہی ہیں-گنگا جمنا کے سنگم میں جو صوبہ قوموں کو ملکر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جینے کی راہ دکھاتا ہے-آج اسی پردیش میں اور اسی صوبے میں دلوں کو بانٹ کر مضبوط اور مستحکم حکومت نہ دینے کی راہ دکھادی گئی ہے-ہمارے بی-جے-پی-کے بھائیوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سب سے بڑی اکثریت ایم-ایل-ایز کے اعتماد سے بی-جے-پی یو-پی-میں لیکر آئی ہے-اس لئے گورنر صاحب کو اسے حکومت سازی کا موقعہ دینا چاہیئے تھا لیکن بہت اچھی بات برادر محترم خان غفران زاھدی صاحب نے فرمائی کہ بی-جے-پی-کی وہ اکثریت حکومت بنانے

---

*[ ] Transliteration in Arabic Script.

جو عمارت قانون کی حیثیت بنکر چمک رہی تھی۔ بابری مسجد ھندوستان کے قانون اور جمہوریت کی روایتوں کے احترام کی شکل میں کھڑی تھی جسکو ۶ دسمبر کو آپ نے توڑا... "مداخلت"... جو لوگ قانون کی دھجیاں بابری مسجد کو توڑکر اس طرح سے ھندوستان میں اڑا رہے ہوں۔ انھیں یہ کہنے کا کیا حق ہے... "مداخلت"... اگر مندر تھا تو آپ نے مندر بھی توڑا..... ..."مداخلت"...

ہم نے مسجد کہا تو آپ کہتے ہیں مندر تھا۔ تو وہ مندر کس نے توڑا۔ مندر توڑنے والے بھی آپ۔ مسجد توڑنے والے بھی آپ اور قانون کی دھجیاں اڑانے والے بھی آپ... ..."مداخلت"... جو لوگ ملک کے قانون کی دھجیاں اڑا چکے ہیں۔ وہی لوگ آج قانون کی دھائی دے رہے ہیں۔ اور یقیناً قانون ان کی بات کا احترام ضرور کرتا اگر وہ قانون کے معیار پر پورے اترتے۔ میڈم۔ ۱۷ ایم۔ ایل۔ اے۔ لانے کے بعد بھومت کے معیار پر پورا نہ اترنے کے بعد بھی حکومت مانگنا اور حکومت سازی کی دعوت دینے کیلئے گورنر کو مجبور کرنا۔ یہ تو بالکل کھسیانی بلی کے کھمبا نوچنے کی علامت ہے۔

لائق اگر ہوتی تو حکومت بنانے سے وہ محروم نہیں رہ سکتے تھے۔ ایک گورنر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بنیادی فرائض کو سمجھے اور ملک کے سامنے فیصلہ کرتے وقت چاق و چوبند رہے کہ ملک جمہوری روایت کہیں سے پامال نہ ہو سکیں۔ گورنر صاحب نے بھی یقیناً جمہوری روایت کا سو فیصدی احترام کرتے ہوئے فیصلہ کیا۔ وہ بالکل واجب تھا۔ ایک دھائی اپوزیشن پارٹی نے یہ دی ہے کہ یو۔ پی۔ کے گورنر نے ملک کے قانون کی دھجیاں اڑا دیں۔ اگر بی۔ جے۔ پی۔ کو حکومت سازی کا موقع وہ دے دیتے تو شاید ملک کے قانون کا احترام بچ جاتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ھندوستان کے قانون کی دھجیاں جس طرح سے اڑائی گئی تھیں۔ آج کے بعد اسنے والا کل جو ۶ دسمبر کے روپ میں ھندوستان میں آرہا ہے۔ وہ ھندوستان کی سرزمین پر اسوقت تب بی۔ جے۔ پی۔ کے ذریعہ قانون کو اڑانے کی شہادت دیتا رہیگا جبتک کہ وہاں پر بابری مسجد کی تعمیر دوبارہ نہیں ہو جاتی... "مداخلت"... آپ سن لیجئے۔ چونکہ قانون کی بات آپنے کی ہے۔ قانون کی دھجیاں اڑانے والا آپ سے بڑھکر کون تھا۔ آپنے عدالت میں حلفیہ بیان دیا تھا کہ ہم اس عمارت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔

حضرات بات آئی تھی ہماری پارٹیوں
کے تال میل کی - جب بی - جے - پی - کے
پاس بہومت نہیں تھا - تو ہمارا سنیکت مورچہ
کانگریس پارٹی - بی - ایس - پی - یقیناً
یہ سارے کے سارے لوگ اکھٹا ہو کر حکومت
بنا سکتے تھے - یہ افسوس کی بات ضرور ہے کہ
معلوم نہیں کہ وہ کون سا متعدد ہے
جسکی بنیاد پر یہ لوگ اکھٹا ہو کر ایک حکومت
نہیں دے رہے ہیں - بات چلی تھی کانگریس
نے پریم کر رکھا ہے مرکز میں سے اور پنڈت جتیندر
پرساد جی کا نام لیا گیا تھا - اور اسکے جواب
میں یہ کہا گیا کہ صاحب آپ نے بھی تو اس
سے پہلے پریم کر رکھا تھا - میں یہ کہتا ہوں
کہ آپ نے تو رکشا بندھن بھی کیا تھا - اور رکشا
بندھن کرنے کے بعد بہن سے بھائی اس طرح
مفہ موڑ لیتا ہے پہلی مرتبہ یہ دیکھا جا رہا ہے
... "مداخلت" ... بابر کے بیٹے ہمایوں نے
بھی رکشا بندھن کے تحت ایک رانی کا ساتھ
دیا تھا - اور اس رانی کا ساتھ دینے کے بعد
اسنے اس رانی کو مکمل طور پر فتح بھی دلوائی
تھی - رکشا بندھن کے مقدس قانون کو اپنے
توڑا - میں آپسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان
کے جمہوری قانون کو آپ توڑ دیجئے - اتنے
قانون توڑ لینے کے بعد بھی آپ کیوں
ضد کر رہے ہیں کہ ہماری سرکار بنے - کیا

ہندوستان کو بھی توڑنے کا آپکا ارادہ
ہے - بہت اچھا کیا گورنر نے جو آپکو موقع
نہیں دیا - اب ان سیکولر پارٹیوں کو چاہیئے
کہ آپس میں ملکر کے ایک بہتر آدمی کو
منتری کے روپ میں دیں - تاکہ یوپی میں
گورنمنٹ بن سکے - میں اس پروگرام کی حمایت
کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں
"ختم شد"]

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): श्री टी० एन० चतुर्वेदी। संक्षेप में ही बात की जाए।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): मैडम, इसमें तो मुझे कुछ कहना ही पड़ेगा ...(व्यवधान) बाकी अन्य बातें मैं छोड़ दूंगा।

Madam Vice-Chairperson, I stand before this august House to oppose the Resolution for ratification of the Proclamation issued by the President, which has been moved by the Minister of Home Affairs. I would like to support and supplement all that has been said by my distinguished colleagues, Shri Bhandari and Shri Naunihal Singh. Madam, a lot of things have been said and the contradiction that exists in the exchange between the two sides, viz United front and the Govt, is apparent. I do not want to go into all of them. There is a proverb in Hindustani नूरी कुश्ती। We know the kind of understanding that exists between the so called Congress opposition and the Government. Mr. Chavan is coming more and more towards this side. Mr. Jitendra Prasad too is coming towards this side. We know exactly what is in their hearts. While supporting Govt. One can stab the other. Madam, if one goes through the

proceedings of yesterday and today, one would know that a campain of vilification is going on against the BJP. All the invectives that are possible, whether it is the question of fascism, or whether it is the question of communalisrn, nothing has been left out from the vocabulary of my friend. With great respect I would like to ask — "Who is a fascist?" Everything possible is being done to keep one particular party out of power, whatever may be the wishes of the people. Is that not fascism? But I do not want to go into this question. It was very heartening to listen to Mr. Pillai. He was talking about butchery of democracy. We all know the democratic credentials of his party — I need not go into it. This struck me possibly as Orwell's language in The Anomal Farm or the language of Arthur Koestler in The Darkness at Noon. But I don't want to pick on all those issues ... *(Interruptions)...*

DR. BIPLAB DASGUPTA: Are you still living in the age of Orwell?

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: The Government of the powerful had been exposed by Orwell 30 years ago. Madam, Vice Chairperson, I only want to make a passing reference to a few things that my friend, Mr. Jitendra Prasad has said. The charge is communalisrn so far as the BJP is concerned. If the BJP is a communal party, why don't you ban it? Why don't you change the Constitution? On ideological grounds and political grounds they want to fight us. The constitutional framework has to be respected in the House. We have to follow it. They know that when the BJP is in power, by their conduct, by their character and by their work, they will demonstrate to the people what a good Government means. I would like to ask Mr. Jitendra prasad: Who is responsible for the backwardness of UP? For 40 years only one party ruled in UP and left a legacy of backwardness. The credit goes to the party to which Mr. Jitendra Prasad belongs.

I would also like to mention, yes we are communal and again and again 6th of December, and Babri Masjid was being trotted out.

How do we know the purpose behind it? The people also should understand. Do you not remember that it was Mr. Buta Singh and the former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi who went there to talk about Ram Rajaya? Did they not lay the foundation of the temple there? You will have to searth inwardly. I do not want to go to the real issues which are there before us. Madam Chairperson, Article 356 has been invoked and political arguments have been advanced as to why the BJP had to be kept out. We will be very happy if the so-called secular parties combine among themselves and install a Government which would ensure a stable Government.

DR. BIPLAB DASGUPTA: You can take Mayawati.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: You can take Mayawati if Mr. Ram Gopal agrees. I will have no particular objection to that. I have only to say that the problem really is that it was a travesty of the political system of this country and particularly the politics which is represented by the person whom I am facing that "Thy name is hypocrisy". The other day they were talking about abolition of Article 356 and threafter this Article 356 was imposed in UP. I would like to mention in a minute how it was imposed because a number of things have been mentioned about Article 356. I have no desire to criticise the Governor. For a number of reasons we joined the service together and I have known him for the last 45 years. So we

arc very old friends. Basically, he is a wise person and he has always to bear the brunt of wisdom. I am always over whelmed by the majesty of the office of Governor. 1 am happy that that breed still exists and that breed still flourishes. That is what 1 want to say. Madam Chairperson, I would like to mention the name of Mr. Bommai. His name will occur again and again. Of course, if I read a lot of extracts from the newspapers or elsewhere, not ony Mr. Bommai's name but the present Prime Minister, Shri Deve Gowda's name also will come up in that trouble. I do not want to go into that. I know how things are. But I would just like to mention one extract from *The Statesman.*

> "...Mr. P. Venkatasubbaiah, who was the Governor of Kamataka has also assured to himself a prominent place in the country's history as a man of utmost loyalty to the ruling party at the Centre, even above his Constitutional obligations..."

This is what happens and that is why it is not a question of Sarkaria Commission, it is not a question of Administrative Reforms Commission, it is not a qustion of a Committee which was appointed by the Tamil Nadu Government about Karunanidhi, about Centre-State relations or what my friend, Shri Ashok Mitra, submitted when he was the Finance Minister. The real question that we have to face is, what kind of Governor we have to appoint. That is what we have to remind ourselves of. That is why I have brought this extract. I do not want to criticise Governors, I do not want to make any statement against them. What is sauce for the gander is, of course, sauce for the goose as far as our. friends are concerned. I know what it is. That is why I would like to mention about Governor's role and why Governor's position is respected, the abberations that might have taken place, the inadequacies that might have taken place in the Government in the administration, the corrective action to be taken by the Governor. From what we hear, it is evident that there are many differences among themselves. This is reflective of what is happening there. Of course, it is expected that once this Resolution is ratified, probably the Governor may be able to work wonders in Uttar Pradesh. But this is also not my concern at the moment. The question still remains. In Uttar Pradesh, there exists neither law and order nor development.

The role of the Governor becomes important because his conduct cannot be discussed. His conduct may also include his misconduct. But we don't discuss his conduct. We don't discuss the conduct of a Governor for the simple reason that he is supposed to be there at the pleasure of the President.

Many friends have used the term 'the Governor's rule'. This was under the Government of India Act, 1935. Now, there is no Governor rule. We have only the President's rule or the President's Proclamation. We have to keep this in our view. The way a Governor conducts himself or otherwise also casts its reflection on this high office.

I would also like to remind the House that it is not correct to say that the Governors take their own decisions, independent decisions. The President, in respect of article 356, is aided and advised by his Council of Ministers. In the case of a Governor, it is the Council of Ministers of that State which he heads. In any case, the aid and advice of the Council of Ministers is necessary. The way the Central Government is functioning is very well reflected in this case. That is why, Madam Vice-

Chairman, I would like to say that all this was a pre-planned affair. The whole drama was pre-planned. The President's rule was revoked in the evening. The next morning, the Election Commission issued a notification under section 73 of the Representation of the People Act, constituting a new State Assembly. Immediately thereafter, the Prsident invoked the article 356 of the Constitution and reimposed the President's rule. Whatever be the name given, this is the factual position. Vaccum does not replace vacuum. The decision is an extention of that vacuum. Whatever name we may give to it, the extention of the President's rule in Uttar Pradesh is not permissible within the Constitution nor is it justifiable on the part of the President. I would like to touch upon some other aspects because many things were said here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Please conclude.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: As I said, a Governor functions during the pleasure of the President. Therefore, even the Union Council of Ministers has misled the hon. President, by its adviced to him.

In this connection, I would like to mention a few things for the information of this House. The House is very well aware because many things have been said here. Many people have referred to the Bommai case. It is suggested that if some people come to the BJP, it is horse-trading. If they go to any of the parties, except the BJP, then it is homecoming. Okay, it is all right. I am not interested in it. What I want to bring to the notice of this House is that when Karnataka...*(interruptions)*... Please listen to *mt...(interruptions)...*

श्री राधगोपाल यादव: क्यों उसे घर नहीं मानते? ...(व्यवधान)...

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: प्लीज, हम तो आपके घर में ननिहाल वाले हैं। आप तो हमारी बात सुनिए।

There were references to what happened in Karnataka. Questions regarding political immorality, money bags, etc., were raised. I am happy Mr. K.K. Birla has stood up. Everybody was talking about money bags. My friend, Amar Singh, is not here.

SOME HON. MEMBERS: He is here.

SHRI AKHILESH DAS: Madam, I don't know why Mr. Chaturvcdiji has referred to Mr. K.K. Birla. He and his family have done a great service to this country. His father, Shri Ghanshyam Das, had contributed his lot to the cause of freedom and freedom struggle ... *(Interruptions)...*

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: I had known him personally. I have the highest regard for him. I have read all that he has written about Gandhiji. Madam Chairperson... *(Interruptions).*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Kindly sit down. *(Interruptions)* Kindly sit.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Madam, I have the highest regard for Mr. K.K. Birla. All I want to know is whether Mr. Dalmia, Mr. Birla and Mr. Amar Singh are empty sacks and so far as the BJP

as the BJP is concerned ... *{Interruptions)...*

AN HON. MEMBER: Amar Singh is the General Secretary of my party.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: May be, *(Interruptions)* But I would like to mention about the political morality and the Governor's role. Mr. L.P. Singh was the Governor not only of Assam but also all the North-Eastern States. He had been the Home Secretary for more than ten years. And I can say that the request for the majority rule has not been raised for the first time. I do not want to cite examples in the case of the Centre. But I can give you a dozen examples at least in the case of the States themselves. I would like to mention that Mr. L.P. Singh wrote about Karnataka in a letter to the editor, "All the defenders have justified the action of the Governor, Mr. Venkatsubbaiah, on political grounds, such as, avoidance of suspected horsetrading and political infighting and none on constitutional grounds.' Observing whether these political vice:; have made their first and exclusive appearance in Karnataka, L.P. Singh said, "Underlying a Constitutional crisis, there are almost always political problems but the Governor holds a Constitutional and not a political office. If he allows his actions to be determined by suspicion of political immorality, he can easily go wrong and open himself to the charge of partisanship." Mr. L.P. Singh ended his letter by arguing, "The Karnataka case may do great harm to the working of our Constitutional system." Now, it is. equally applicable so far as U.P. is concerned

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): यहां चर्चा हो रही है, ये लोग क्या कान्फ्रेंस कर रहे हैं।... (व्यवधान)...

THE VICE CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Kindly take your seat. If any Member has to consult a Minister, he can go out and consult, but not in the House.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Madam Chairperson, the original Article 3S6 consisted of four clauses. The fifth was added during the Emergency, and to do away with the wrongs of that Emergency...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Kindly conclude.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: I am just concluding, Madam. So, to do away with all those things, the 44th Amendment was made. I do not want to go into the details of this but it is extremely important. My friend has also pointed out the conditions in which the President's Rule could have been extended. Here, I would just like to repeat what was just referred to my Mr. Naunihal Singh. The 44th Amendment was enacted in the clime of 1979 to curb the abuses of Article 356. And let this be remembend that the 59th Constitutional Amendment had to be enacted on March 30, 1988 in order to provide that clause 5 would not apply to the President's proclamation issued on May 11. 1987 in respect of Punjab because in Punjab it had to be extended and a fresh Constitutional Amendment was undertaken by this House and the other House. It was not revoked and they issued a fresh one as in the case of U.P. The Constitution was amended. So, if you are just true to the Constitution. ..*(Interruptions)*

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): ये लोग बैठकर बोल रहे हैं, आप इनका जवाब न दें। आप अपनी बात आगे रखें। ...(व्यवधान)...

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Now, Madam, that is why this has been called a fraud on the Constitution. I would like to quote one or two sentences from what Mr. Indrajit Gupta, the hon. Minister of Home Affairs, said at that point of time about Karnatak situation. He used the expression that the formation of the State Government should be decided not in the "parlour" of the Governor.

4.00 P.M.

There may not be any provisions in the Constitution for the test of the majority "of a Ministry on the Floor of the House, but there were certainly norms and traditions which have to be respected and preserved. Now, what has happened to those conventions? These are his exact words. "The Centre had acted in a hurry in the election year trying to remove non-Congress Governments. The Government has acted as a pliable tool." What is more relevant than his own words? Shri Gupta also wanted to know whether the MLAs were elected to the Raj Bhawan or to the Assembly. He said that the Governor should remember that the people have voted the MLAs to the Assembly. Therefore, that was where the question of majority should be resolved. Mr. Balanandan is not here .. .*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA) Mr. Chaturvedi, please conclude. You have taken a lot of time.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Madam, I will take five minutes more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA) : Not five minutes, you kindly conclude within a minute.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Madam, here I would like to mention that the MLAs who were elected were not sworn in. Till a Member is sworn-in, he is an independent entity. It is absolutely a fraudulent report that the Governor sent to the Government of India. The leader of a party has no authority to give the opinion on behalf of individual Members till they were sworn-in. 1 would also like to mention that so far as the precedent in regard to proving the majority is concerned, this has happened a number of times, at a number of places. It had happened in the erstwhile States known as Madras, Orissa, Travancore-Cochin, Pepsu and again in Orissa, Pondicherry, Madhya Pradesh and Rajasthan. Nowhere in the Constitution, is there any mention of stability of the Government. The pity is that Kerala and Punjab cases have happened. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Kindly conclude. Your time is over.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Madam Chairperson, I would just like to mention that...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mease conclude.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: I am concluding. Madam, in the end I would like to mention as to what has been called accession of strength to the BJP, which is being called the so-called horse-trading. After all, there is no reference to political parties in the Constitution. It is only in Schedule X, through the Anti-Defection Act, that it has come in. If l/3rd Members of a party go out of the party, then that is in accordance with the Constitution. But, some how or the other, political predilection had prevented formation of Government in U.P. Lastly, madam, I would like to say...

SHRI KHAN GUFRAN ZAHIDI: He is repeating the same point.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: I know as to what the "same point" is. In any case, it is not about the so-called communalism and the so-called secularism. I would also like to mention that the Government and the Governor have to be cautious as regards the use of article 356, which some how or the other, has been violated both in letter and spirit.

[The Deputy Chairman in the Chair]

If the Government had wanted to impose the President's rule, then it should have brought in an amendment to the Constitution just to prevent the BJP from coming into power or to stop the

formation of a BJP Government in Uttar Pradesh. The Punjab example is a standing testimony to that particular fact. But, the fact of the matter is that this Government is using Constitution, unconstitutionally, As were the laws used lawlessly during the emergency, today these people arc using the Constitution unconstitutionally. Since the Prime Minister is present here, I wish I would read some of the relevant extracts so that they could try to link them up with both Mr. Bommai and Mr. Deve Gowda. But, I will refrain from doing so; as laws were used lawlessly, that docs not apply. Today the Constitution is being used unconstitutionally.

I know the CPI and the CPI(M) ...*(Interruptions)*... It is very well known. That is why there is this kind of ganging up. I know the result of this debate. It is a foregone conclusion. The people of the country Will judge as to how this group has sold its soul together with ...*(Interruptions)*... It is completely soulless. This Govt, is callous to the interests of the country and to the Constitution.

Thank you. Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: 1 have one more name, Mr. Akhilesh Das. *(Interruptions)* Maiden Speech is all right but it will have to be very short, short and sweet maiden speech.

श्री अखिलेश दास: आदरणीय महोदया, मैं आपके माध्यम से आज उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव है उस परिचर्चा में भाग लेना चाहता हूं और भाग ले रहा हूं। आज पहली बार बहुत महान बुजुर्गों के सामने बोलने का अवसर उस समय मिल रहा है जब उत्तर प्रदेश की दुखद स्थिति के संबंध में परिचर्चा हो रही है।

उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यह वह उत्तर प्रदेश है जो भारत का हृदय कहलाता है। वह उत्तर प्रदेश जिसने 40 वर्षों तक इस देश को नयी दिशा दी। आज उस उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आज सबसे पहले एक विडम्बना आते ही मुझे देखने को अवश्य मिली। हम संविधान की बात करते हैं आज इत्तिफाक से 5 दिसम्बर है। अब से ठीक 24 घंटे के बाद धज्जियां उड़ा दी गयी थीं आज से 4 साल पहले 6 दिसम्बर को अयोध्या के अंदर ...(व्यवधान)... और मुझे याद है मैंने पेपर्स में पढ़ा था ...(व्यवधान)... अखबारों और टी०वी० में मैं सुना करता था कि संसद के अंदर हमारे बहुत से सम्मानित नेताओं ने यहां पर वादा किया था 6 दिसम्बर को कि हम पूरे तरीके से वहां पर रक्षा करेंगे और कोई घटना नहीं होगी। महोदया, आज वे ही लोग संविधान की बात कर रहे हैं जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद, उच्चतम न्यायालय ने जिनको सजायाफ्ता ठहराया था, उच्चतम न्यायालय द्वारा जिनको सजा दी गयी थी, वह किया। आज फिर उन्हीं लोगों के नेतृत्व में सरकार का दावा प्रस्तुत किया गया है जिनको बाकायदा उच्चतम न्यायालय ने एक दिन की सजा दी थी। हमारे माननीय परम सम्मानित सुन्दर सिंह भंडारी जी, मेरे स्वर्गीय पिता के भी बहुत मित्र रहे हैं। मेरे बुजुर्ग हैं। आज उनके मुंह से यह बात संविधान के प्रति सुनी। मुख्य रूप से आर्टिकिल 356 के संबंध में अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। महोदया, आपको याद होगा कि 13 दिनों की सरकार के लिए जब माननीय राष्ट्रपति महोदय ने, माननीय शंकर दयाल शर्मा साहब ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था तो बड़े जोर शोर से हमारे उस तरफ के साथियों ने उनका स्वागत किया था। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो संविधान की बात, उसके विभिन्न अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं। आपने पंजाब का इश्यू उठाया। आपने कहा कि पंजाब के लिए कांस्टीटयूशनल अमेंडमेंट किया गया है। उत्तर प्रदेश की स्थिति की स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई राष्ट्रपति शासन की अवधि नहीं बढ़ायी गयी। उत्तर प्रदेश के अंदर परिस्थितियां डिफरेंट थीं। उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद पुनः ऐसी परिस्थितियां बन गयीं और उन परिस्थितियों के लिए आपने लाजिमी रूप से कहा, मैं आपकी बात सुन रहा था, आपने, माननीय सुन्दर सिंह भंडारी साहब ने कहा कि 1993 की जो परिस्थितियां थीं वही 1996 में भी हुई और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में आपने ही कहा आने वाले समय में भी यह परिस्थितियां हों। सही बात है मान्यवर। आपको सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि अगली बार भी आपको भी आपको मालूम है कि यही परिस्थितियां होंगी। 1993 और 1996 में मान्यवर मैं यह कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा अंतर था। 1993 में जब 176 आए थे तो बहुत बड़ी सैकुलर

फोर्सेस साथ-साथ थीं। तब भी आप 176 आए थे और आपने अपनी होशियारी से, समझदारी से उन सेकुलर फोर्सेस को तोड़ा। आज आप हमारे ऊपर आरोप लगाते है कि हम उस बहन को साथ लेकर चल रहे हैं। आपने उससे राखी बंधवाई। राखी बंधवाने के बाद भैयादूज तक आपने उसका साथ छोड़ा। इसलिए छोड़ा, आपने अभी भाषण में कहा कि हमको चूंकि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार को गिराना था। आपने सेकुलर फोर्सेस की लड़ाई करवाने के बावजूद, अलग-अलग लड़ाने के बावजूद आप 176 आए हैं। जबकि पिछली अभी लोक सभा में आप 242 तक पहुंच गए थे। आपको भी मालूम है कि आपका भविष्य क्या है। इसीलिए आपने यह बात कही है।

दूसरी बात महोदया, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं ...(व्यवधान) आपने कंस्टीट्यूशन की बात कही और आपने एक जजमेंट की बात कही। यह एक विडंबना है कि बी॰ जे॰ पी॰ के लेजिस्लेटर्स, बी॰जे॰पी॰ के विधान सभा सदस्यों ने उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर अपनी रिट पैटीशन की थीं। उसमें एक जज ने एक जजमेंट दिया और दूसरे जज ने दूसरा जजमेंट दिया और दोनों न्यायाधीशों के अलग-अलग जजमेंट आए। हमारे एक सम्मानित सदस्य ने भी कोट किया है जस्टिस गुप्ता के जजमेंट को और जस्टिस रजा का भी उन्होंने एक जजमेंट पढ़ा है। वह खुद एक बार कोर्ट में गए हैं। इनको कोर्ट में विश्वास नहीं। इनको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है। इनको संविधान में विश्वास नहीं है। जो प्रोक्लेमेशन है उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है और मैं उसे कोट कर रहा हूं:

> "Whereas I, Shankar Dayal Shanna, President of India, have received a report from the Governor of the State of Uttar Pradesh and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution."

बार-बार आप जो कहना चाहते है राज्यपाल की तरफ से या कंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रपति के उस आदेश का जिसका आप स्वयं कई बार स्वागत कर चुके हैं आज अचानक उस स्वागत में कहीं कोई अंतर आ गया है। यह सुर्कलेशन आपके सामने है। आपने बड़े जोर-शोर से जो लखनऊ के पेपर्स दिल्ली के प्रैस में, अभी पिछले दिनों राज्य सभा के उपचुनाव हुए तो उसमें आपने बड़े जोर-शोर से कहा कि हमारी सरकार बनाने की शुरूआत है। राज्य सभा के चुनाव में आपने अपनी पार्टी के न किसी वरिष्ठ नेता को और न किसी कार्यकर्ता को यह मौका दिया बल्कि आपने उन लोगों को मौका दिया जो शफ्फ हॉर्स ट्रेडिंग करके आपको अधिक से अधिक मत दिला सकें। महोदया, पंडारी जी से मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि 18 वोट शिफ्ट हुए दूसरे वोटों के, हो सकता है कि 18 के 28 हुए हों। क्योंकि मुझे कंफर्म मालूम है कि बी॰जे॰पी॰ के दस लोगों ने इधर सेकुलर फोर्सेस को वोट दिया और अपनी अन्तर्रात्मा की आवाज से वोट दिया। मेरे पास उन दस लोगों के नाम हैं। यह मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं।...(व्यवधान) अगर आप वायदा करें कि उनके आप टिकट नहीं काटेंगे तो मैं नाम बता दूंगा। ...(व्यवधान) मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक बार फिर से सेकुलर फोर्सेस की विजय हुई है और नेता सदन और प्रधानमंत्री माननीय श्री देवेगौड़ा जी को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने साबित कर दिया है, चाहे हिन्दुस्तान में कांग्रेस पार्टी हो हमने मिलकर स्वागत किया है और यह साबित किया है कि यहां सेकुलर फोर्सेस की सदैव विजय होगी। उत्तर प्रदेश के लिए तो मैं खास तौर पर देवेगौड़ा जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं अपना सौभाग्य भी मानता हूं कि आज पहली बार यहां मुझे आप लोगों की बीच में बोलने का मौका मिला है। मेरे स्वर्गीय पिता के बहुत पुराने मित्र सम्मानित हमारे देवेगौड़ा जी ...(व्यवधान) हमारे सम्मानित देवेगौड़ा जी उनके पुराने मित्र ...(व्यवधान) और कांग्रेस पार्टी के उनके बीच में ...(व्यवधान) मौका मिल रहा है ...(व्यवधान) इससे उम्र बढ़ती है ...(व्यवधान)

उपसभापति: आर्डर-आर्डर प्लीज़। ...(व्यवधान)

साथ ही निवेदन करूंगा अपने यूनियन फ्रंट के साथियों से कि यहां माननीय देवेगौड़ा जी बैठे हैं, आज उन से भी यह निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में अवश्य एक लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए आप ने जहां सेकुलर फोर्सेस की विजय की एक नई शुरूआत की है, उस से हम सब को पूरी आशा है कि उत्तर प्रदेश में फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी।

मैडम, जहां एक दलित महिला की बात हम लोगों ने की है, जहां हम उन के लिए 33 परसेंट आरक्षण की बात हम कर रहे हैं वहीं एक अजीब इत्तफाक है कि

कल से जब से यह प्रस्ताव यहां आया है, लगातार चैयर पर महिला ही बैठी है। तो मैं तो आप के समर्थन में भी बोलना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक महिला को नेता पद के लिए समर्थन मिलना चाहिए।

मैडम, मैं इस प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

डा॰ महेश चन्द्र शर्मा (राजस्थान): उपसभापति महोदया...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, the discussion is over.

I shall now ask the hon. Prime Minister to give his reply.

प्राइम मिनिस्टर रिप्लाय कर रहे हैं। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Madam, he can intervene but the reply must be given by the concerned Minister. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: आप को गुस्सा करने की जरूरत नहीं है।

He cannot intervene... *(Interruptions)*...

डा॰ महेश चन्द्र शर्मा: उपसभापति महोदया...

उपसभापति: आप पहले इजाजत लीजिए, फिर बोलिए।

डा॰ महेश चन्द्र शर्मा: मैडम, मेरा पाईंट आफ आर्डर है।

उपसभापति: यहां कोई पाईंट आफ आर्डर नहीं है। कोई मसला नहीं है जिस पर पाईंट आफ आर्डर उठे। Everything is running in a perfect order. Now we arc only having the reply. The discussion is concluded. We have given more time than was listed tor प्लीज आप बैठ जाइए और प्रधान मंत्री जी को बोलने दीजिए।

डा॰ महेश चन्द्र शर्मा: मैडम, संविधान हमें कहता है कि एक साल के बाद संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सके। इस बहस का उत्तर देने के पहले क्लाज-5 (ए) और (बी) को पढ़ा जाना चाहिए। इस में केवल दो सूरतें हैं—देश में आपातकाल हो

उपसभापति: आप किस रूल के तहत बोल रहे हैं?

...*(Interruptions)*... No. he cannot *(Interruptions)*...*He* has not given his name.. *(Interruptions)*...His name is not written here...*(Interruptions)*... Just one second ...*(Interruptions)*...*Let* him hear what I am saying...*(Interruptions).* There is no such rule. Your name is not listed. I have not called you. So, please sit down. Take your seat...*(Interruptions)* Whether you are mentioning the Constitution or *Dhara* of the Constitution. You could have spoken if you had taken the permission but not now...*(Interruptions).*

बैठिए, आराम से बैठिए और भाषण सुनिए। अगर आप ने बोलने के लिए कहा होता we would have listed your name. There is no problem in that. Now, your name is not listed, how can I allow you to speak...*(Interruptions).*

डा॰ महेश चन्द्र शर्मा: पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए नाम होता है? ... *(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would be very happy if everybody keeps quite... *(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Madam, point of order...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let me tell you...*(Interruptions)*... Please...*(In-terruptions)*... There is no point of order here. In a speech you can make whatever point you wanted to. If you had requested us, we would have included you as a speaker. But you cannot speak now. Hon. Members from your party participated in the debate. We would have been very happy to allow you to speak and make your point but not on a point of order because the point of order is a point of disorder now...*(Interruptions)*... Now, it is late...*(Interruptions)*... I would have allowed you... *(Interruptions)*... No problem.... *(Interruptions)*...

THE PRIME MINISTER (SHRI H.D. DEVE GOWDA): Hon. Deputy Chairperson, first of all, I would like to congratulate all the hon. Members who have participated in the discussion and have thrown light on how the, Government misused Article 356 or how the article has been properly used. This is an ooa-sion where the House has an opportunity to discuss about the merits and demerits of article 356.

Madam, this issue has been under discussion for the last several years. Even the Sarkaria Commission had expressed certain views. In the Chief Ministers' Conference also, they mentioned about article 356.

On several occasions, we have used this article to suit our own convenience. Shri Sunder Singh Bhandari is here. He is Ihe senior-most leader. Did you not use article 356 in 1977? *(Interruptions)* We were together.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: It was after the amendment.

SHRI H.D. DEVE GOWDA: We were together. I was going to say that we were together.

In 1977, nine State Governments were dismissed.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA (Punjab): At one go.

SHRI H.D. DEVE GOWDA: The only reason given to the nation was that they hud lost the mandate. The mandate of the people.,was for the Parliament, for the Lok Sabha; it was not for the State Assemblies. But we had to make use of article 356 to dismiss the nine State Governments. It was followed by the congress in 1980.

The question of using this particular provision, particular article, depends upon the circumstances prevailing at a particular time.

Madam, I took over the responsibility of running the administration of the country on 1st June, 1996. Within two months, elections were to be held to the UP Assembly. The senior-most leader of the BJP had made an attack publicly that I was trying to postpone the elections under some pretext or the other. I made it very clear that there was no question of postponing the elections; that the elections would be held on .schedule.

At that time, the BJP had full confidence At that time, there was no suspicion in the minds of the BJP that they were going to get less than 220 or 225 seats so that they could form a Government on their own. This was because in the elections to the Eleventh Lok Sabha, even though they had failed to get a clear mandate, in UP, they were leading in about 236 Assembly segments.

With this background, they persisted in their demand that the elections should be held on schedule. In fact, I am prepared to accept that there was a thinking as to whether the elections should be held or they should be postponed because of the prevailing situation at that time. But I did not want to give any scope for the recognised Opposition in both the Houses to say that we were using the Majority of the secular parties to see that the elections were postponed. I did not want to take any blame. Therefore, I requested the Election Commission to hold the elections on schedule.

They expected that after the results of the UP elections were announced, the UF Government was going to collapse. That was one of the main arguments advanced in the election meetings. I was also there. I addressed 56 public meetings. I did not blame the Congress. All of you have combined together to strengthen the secular base, the secular, democratic, forces in the country. I know that. You have got every right to criticise my conduct, the conduct of the Government. I do not find fault with you, friends. But your whole approach was one of trying to create an impression that this Government was only a stopgap arrangement; that thirteen parties had combined to form a Government; that two-three parties were supporting the Government from outside; and that once the results of the UP Assembly elections were announced, this Government was going to collapse.

I have no objection to that. Whether the Government is going to collapse or not is not the issue. The issue before us is, what is the mandate of the people of Uttar Pradesh? The people of Uttar

Pradesh gave a clear mandate—no question of giving power into the hands of communal forces. That is the issue before us. That is what we have been saying. You must accept hard realities; you must accept this. If I am going to be defeated, yes, I will accept that.

The question today is, they say that the country is politically devalued, political values have been lost, and the only party in the country today to preach and promote the value base is the BJP. That is the slogan that has been raised by our BJP friends there. But you must accept the mandate of the people, and the mandate of the people for you is only 174 against 425. In a house of 425, 245 or something like that is the strength of all the secular parties combined together. Under what circumstances? We have not come together. If all the secular parties had come together and shown their strength, things would have been totally different. I don't want to blame anybody here but, even with all this bitterness, the people never voted for you with a clear mandate. You must accept this.

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश): आपको मेनडेट कहां मिला? आपको भी ...(व्यवधान)...

उपसभापति: यह कोई तरीका नहीं है, बैठ जाइए....(व्यवधान)... बैठ जाइए...(व्यवधान)...

Enough! I will not permit it. This is not going on record. Interruptions arc not going on record.

SHRI H.D. DEVE GOWDA: I am not going to yield...*(Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. Enough! ...*(Interruptions)...* I will not permit it. It is not going on record.

SHRI H..D. DEVE GOWDA: I am not going to yield...*(Interruptions)...*

SHRI H..D. DEVE GOWDA: I am not going to yield, whatever they might say. What I said was: What is the mandate of the people? The mandate of the people is not to allow the BJP to form a Government. That lis the mandate of the people. All right, the Governor had sent a report. That he ought to have called the single largest party to form a Government there is one of the arguments. .. *(Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shas-triji, this is not the way. Please, baith-iyc ...*(Interruptions)...* No, I am not allowing it—

terruptions).. .बैठिए, बैठ जाइए। देखिए ये चीजें सब लोग देख रहे हैं। मैं समझा रही हूं। आपकी पार्टी को समय था, सबको समय था, जिसको जो बोलना था, वह बोल लिया। अब जब जवाब हो रहा है तो आपको जरा भी यह शोभा नहीं देता कि आप यह काम करें या इस तरह से शोर मचाएं। ...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंह: मैडम, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है।

and I am mot arguing ...*(In-*

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no point of order—and I disallow it...*(Interruptions)...* No, there is no point of order. I am not allowing it; I disallow it...*(Interruptions)...*

SHRI H.D. DE!VE GOWDA: I never said that. ..*(Intetruptions).* In four months, from 230 it has been reduced to 174.. .*(Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: The interruptions are not going on record. ...*(Interruptions)...*

Sit down. I am not answering anything. Please take your seats...*(Interruptions)...*

Please sit down. There is nothing.

SHRIMATI RENUKA CHOW-DHURY: Let the Prime Minister speak. Please sit down....*(Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no point of order. I am not allowing *ii....(Interruptions)...*

SHRI H..D. DEVE GOWDA: Madam, I am not going to make a lengthy speech....*(Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have said, "I am not yielding to that." There

is no point of order. If you have raised it, I am not allowing it...*(Interruptions)...*

SHRI H.D. DEVE GOWDA. After the results were announced, the Governor of Uttar Pradesh...*(Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: When 1 say, "Please sit down," you don't listen... *(Interruptions)...*

When I ask you to sit down, you don't listen.... *(Interruptions)...*

Just one second. When I ask you to sit down,

your seats down, please listen to me and please take.

एक मिनट खामोश रहिए। इस पार्लियामेंट में अलग-अलग विचारधाराओं के लोग आते हैं, अलग-अलग बात करेंगे। आप जो चाह रहे हैं, वह नहीं बोलेंगे, जो वह चाह रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे। तो सुनने की हिम्मत कम से कम हरेक में होनी चाहिए। इधर भी होनी चाहिए, उधर भी होनी चाहिए ...(व्यवधान)...

I am not allowing it. I will not allow it *(Interruptions)...* Please sit down, sit down.

SHRI H.D DEVE GOWDA: Let them have patience....*(Interruptions)...*

श्री अखिलेश दास गुप्ता: मैडम, मेरा पोइंट आफ आर्डर यह है कि साम्प्रदायिक कहने पर ...(व्यवधान)...

उपसभापति: बैठिए न, प्लीज सिट डाउन। ...(व्यवधान)...

SHRI H.D. DEVE GOWDA: I will answer your point....*(Interruptions)...*

उपसभापति: यह आप आदर कर रहे हैं। यह आदर नहीं होता है मेरे कहने का, जो आप खड़े हो गए...(व्यवधान)...

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश): यह ...(व्यवधान)...

श्री नरेश यादव: मैडम, यह क्या कहना ...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will look into the record and see if there is anything objectionable.... *(Interruptions)...*

यह कौन सी डेमोक्रेसी की बात आप कर रहे हैं।...(व्यवधान)... यह तो कोई ...(व्यवधान)...

SHRI H.D DEVE GOWDA: I will answer your point ...*(Interruptions)...*

श्री नरेश यादव: महात्मा गांधी की हत्या किसने की ...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are getting up every time. Please sit down. ... *(Interruptions)...*

देखिए जब आप लोग इतना बोलेंगे ...(व्यवधान)...

SHRI H.D. DEVE GOWDA: All the election results were announced by 10th. Till 17th, the Governor had not sent any report to the President.

उपसभापति: ...(व्यवधान)... आप बैठिए न, ...(व्यवधान)...

SHRI H.D. DEVE GOWDA: Let me say what I am going to say. Till 17th October, no report was sent by the Governor, The Governor gave an offer to all the political parties to establish a majority.

SHRI NARENDRA MOHAN (Uttar Pradesh): Why the communal' word has been used?

SHRI H.D. DEVE GOWDA: No Member of the State Assembly either from the BJP or any other political party-has come forward...*(Interruptions)...*

श्री लक्खीराम अग्रवाल (मध्य प्रदेश): एक प्रधान मंत्री किसी पार्टी को "कम्युनल" कैसे बोल सकता है?...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would look into the record. When so many Members make so many comments, I cannot *hear....(Interruptions)...*

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Madam Deputy Chairman, would you look into record and see that the word "communal" attributed to the BJP is removed?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let me see the record what he has *said...(Interruptions)...* If there is at least some peace in the House, then, I can hear. If ten Members speak at a time, it is humanly impossible for me to what any Member has said. When ten Members from this side and ten Members from the other side get up and speak simultaneously, can

you understand anything? Let me look at tlie record.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: The only point of objection is the word "communal" which has been attributed to the BJP should be deleted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I can't give you any promise. I would look into the record and find out what the objec-tional word is. I can't say in advance what the objectional word is because I could not hear anything. ...*(Interruptions)*... Just a minute. This entire debate is being telecast. Thw whole country is looking at us. Let us not project ourselves that we can't be tolerant to each other's speech...*(Interruptions)*... When I am speaking, please keep quiet; and show some patience towards the Chair. I don't take directions from Members in the House, do you understand? I would look into the record. But just now I cannot give any promise. Till I see the record, till I am sure what has been said is objectionable, I can't give any promise. I have never done it before. Now also I will not do it. I should satisfy myself what the objectionable word is, then, I would do it.

तो अब आप अपना भाषण पूरा कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंह: अगर "कम्युनल" वर्ड होगा तो क्या वह डिलीट किया जाएगा?...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I haven't seen the record. What can I delete?

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Madam Deputy Chairman, the objection of my colleague is whether the Prime Minister can call the BJP communal in this House when it has been registered with the Election Commission to contest elections. If this comment comes from sombody else, they would not have objected. But it has come from nobody else than the Prime Minister himself. They have taken umbrage that the Prime Minister has utilised this House to call the BJP a communal party while the BJP has contested elections...*(Interruptions)*... If the Prime Minister withdraws this word, it is all right...*(Interruptions)*... This is what our colleagues have been saying... *(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Even after my ruling and even after my assurance that I would look into the record, you are insisting that it should be deleted. It is unfortunate. Let me see what the objectionable word is. How can I give an assurance in advance that I would delete it? I don't given an assurance in advance to delete a word which I have no. seen. I have never done that. I would never do it. Please let the Prime Minister speak.

Because people are watching. Let not the country be misled that anybody is saving

श्री राजनाथ सिंह: मैडम, मैं यह कहना चाह रहा था कि अगर "कम्युनल" वर्ड होगा तो क्या उसको डिलीट किया जाएगा? ... यह जब तक नहीं होगा काम आगे नहीं चलेगा।...(व्यवधान)...

SHRI H..D. DEVE GOWDA: The Governor gave an opportunity to all political parties... *(Interruptions)*...

श्री विष्णुकान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : प्राइम मिनिस्टर बताएं कि उन्होंने क्या कहा है? ...(व्यवधान)...

उपसभापति: आप ज़रा बैठिए। मैं आपको दोबारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों ज़बानों में बताती हूं। एक मिनट...शांति से सुनिए।

anything. ...*(Interruptions)*... Nobody should interrupt me. I don't want to strain my throat, again and again. I am saying that I haven't seen the record. I can't give you any promise till I see the record and call any word, any sentence or anything as not to be spoken in this House. Till I see the record, I will not give any assurance. I have never given any such assurances and I will never ever give any such assurances. So, please, Mr. Raj Nath Singhji, sit here and listen to the speech. *(Interruptions)*.

श्री राजनाथ सिंह: मैडम, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सामने रिकार्ड है, आप देख लीजिए। कम्युनल वर्ड का प्रयोग किया है, उसे डिलीट

कर लिया जायेगा तभी हम सहयोग कर सकते हैं अन्यथा हम सहयोग नहीं कर सकते हैं। ..(व्यवधान)..

उपसभापति: आप अभी भी कौन सा सहयोग कर रहे हैं?..(व्यवधान)..

श्री राजनाथ सिंह: प्राइम मिनिस्टर ने बीजेपी को कम्युनल कहा है।..(व्यवधान)..

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: आप बताईये आपने क्या कहा है?..(व्यवधान)..

श्री राजनाथ सिंह: मैडम, यह क्या हो रहा है?..(व्यवधान)..

उपसभापति: यह रिप्लाई है, मैंने व्यवस्था दे दी है।..(व्यवधान)..

श्री महेश्वर सिंह: प्राइम मिनिस्टर ने कहा है..(व्यवधान)..

श्री राजनाथ सिंह: या तो प्राइम मिनिस्टर डिनाई करें।..(व्यवधान)..

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता: मैडम, हम हाउस को नहीं चलने देंगे।..(व्यवधान)..

श्री राजनाथ सिंह: मैडम, हम हाउस को नहीं चलने देंगे।..(व्यवधान)..

उपसभापति: आप चेयर का आर्डर नहीं मान रहे हैं।..(व्यवधान)..

SHRI H.D. DEVE GOWDA: I know my responsibility *(Interruptions).* The Governor has given sufficient opportunity to all political parties to explore the possibility of their forming a government. And no political party was in a position to submit the list of names of 220 or 215 or whatever that is required. *(Interruptions).* No political party was able to give the list to the Government. After getting convinced, the Governor submitted his report. *(Interruptions).* Under the given situation, there is no possibility of....*(Interruptions). Therefore, the ...(Interruptions).* President issued the proclamation under Article 356. *(Interruptions).* One point hon. Members should understand. *(Interruptions).* And in three Rajya Sabha elections, by-elections, they were defeated with a clear mandate. *(Interruptions).* Even in the Rajya Sabha elections. they were defeated. *(Interruptions).* There is no question of a majority of these people. Whatever may be the method they have adopted, in the Rajya Sabha by-elections, it has been prove-d... *(Interruptions).*

With these few words, I request this August House to approve the Proclamation made by the President. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, ...*(Interruptions).* There are no clarifications now. I won't allow. I shall now put the resolution to vote.

श्री राजनाथ सिंह: प्राइम मिनिस्टर भाजपा को कम्युनल कह रहे हैं और देश के सर्वोच्च सदन में खड़े हो कर कम्युनल कह रहे हैं।.....(व्यवधान).. हम सदन से वाक आउट कर के जा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That this House approves the Proclamation issued by the President on the 17th October, 1996 under article 356 of the Constitution in relation to the State of Uttar Pradesh.

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Gujral, I would like you to give your reply to the debate. But I have the Business Advisory Committee meeting and I will have to go. *(Interruptions).* One second, please.

SHRI IK. GUJRAL: Madam, may I submit this? One the agenda, there are two items against my name; one is my reply to the debate and the other is a statement on the visit of the Chinese President. I have already made that statement in the other House. *(Interruptions).*

उपसभापति: प्लीज, जरा खामोश रहिए, इतना शोर आप लोग करते हैं।....(व्यवधान)..

Neither I can hear; nor, I am sure, can you hear.

SHRI IK. GUJRAL: ,1 have already

made the statement in the other House. If hon. Members wish, I can make it now. If-they do not, then I can lay it on the Tabic of the House. That is the statement regarding the visit of the Chinese President.

The second thing is the reply to the debate. If hon. Members wish, I can reply today. Or, if they wish so, I can reply later whenever they want.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I suggest that the reply should be given today because we are delaying everthing and then we don't have time. I think the reply should be today. The Minister has to make a statement on the visit of the President of China. If the House so agrees, he can lay the statement on the Table of the House and then we will find time for clarifications. *(Interruptions).* The meeting of the Business Advisory Committee has already been delayed. It has already been postponed for half an hour.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, we would like to hear his reply.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have already delayed the Business Advjs-ory Committee's meeting.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, if it possible, you may delay it for a little more time. This is my request, Madam.

SHRI S.B. CHAVAN (Maharasthra): Madam, if the Minister wants to lay the statement on the Table of the House, let him do so. The clarifications can be sought later.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Gujral Sahib, you can lay the statement and the clarifications, can be sought later. You can reply today if the House so wants. How much time will you take for the reply?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I.K. GUJRAL): Madam, the reply will take about 25 minutes.

उपसभापतिः हाउस एडजोर्न नहीं होगा।

There is other business also. आप लोग तो चाहते हैं कि हाउस जल्दी एडजोर्न कर दें। काम तो करना ही पड़ता है। ..(व्यवधान).. आपकी देखा देखी सब कर रहे हैं। The country is beyond U.P. also. Then there are clarifications on Agriculture Minister's statement on drought in Orissa. I have to call him also. ...*Interruptions)*...

SHRIMATI MARGARET ALVA: But the Minister is not here.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He informed that he will come when he finishes his work there. The Minister of Civil Aviation also wanted to come. But we want to finsih this first. Let the Ministr reply. ...*(Interruptions)*... We will feel happy if the Prime Minister has time to sit in his own House. Gujral Sahib, you can lay the statement and start the reply.

श्री एस॰ बी॰ चव्हाणः स्टेटमेंट की कापी तो दीजिये।

उपसभापतिः जब करेंगे तब दे देंगे। Distribute the copies

STATEMENT BY MINISTER—

On Visit of president of people's Republic of China to India

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I.K. GUJRAL Madam, with your permission, I lay on the Table my *suo motu* statement regarding the visit of the President of People's Republic of China to India from 5th Decemebr, 1996 to 8th December, 19%.

THE DEPUTY CHAIRMAN : We will keep some other time for clarifications. Now, we can hava the reply.

SHRI I. K. GUJRAL: Madam, may I have your permission?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Yes. Please go ahead. We are all here for your statement.